हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार 10 दिसम्बर, 2018 को माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला-176215 में 14.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

10.12.2018/1400/जेके/एजी/1

अध्यक्षः शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का माननीय मंत्रिगणों का, विशेषकर सदन के नेता, माननीय श्री जय राम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, श्री सुरेश भारद्वाज जी और माननीय पूर्व मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा यह भरसक प्रयास रहेगा कि माननीय सदस्यों को सदन में अपने विषयों को रखने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। वहीं मैं, सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि वे नियमों की परिधि में रह कर चर्चाओं को सार्थक बनाने में सहयोग करें। सभी माननीय सदस्यों से मेरी यह भी अपेक्षा रहेगी कि वे सदन की कार्यवाही के संचालन में मुझे अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। इससे पूर्व की आज की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए मेरा सभा मण्डप में उपस्थित सभी से निवेदन है कि वे राष्ट्रगान के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(सभा मण्डप में उपस्थित सभी राष्ट्रगान के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए)

10.12.2018/1400/जेके/एजी/2

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आपको कुछ कहना है?

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह शीतकालीन सत्र हो रहा है, इससे ठीक पहले माननीय मुख्य मंत्री जी लगातार अखबारों में बयान दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय विपक्ष को धमकाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि यहां पर ज़वाबी कार्रवाई की जाएगी, मैं आपके खिलाफ मामले दर्ज़ करवा दूंगा, मैं आप लोगों को जेल में डाल दूंगा। लगातार पिछले 15-20 दिन से माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक ही राग अलाप रखा है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास ताकत है, मेरे पास प्रशासन है और मेरे पास पुलिस है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी अभी विषय प्रश्नकाल का है। आप नोटिस दे करके चर्चा कर लेना। मेरे पास इस सन्दर्भ में कोई नोटिस नहीं आया है। माननीय सदस्य आप इस बारे में कोई नोटिस दीजिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, जब हम कुछ बोलना चाहते हैं, जब हम हिमाचलियों के हितों की बात करते हैं तो मुख्य मंत्री जी हमें धमकाते हैं।, आखिरकार हम विपक्ष में चुने हुए विधायक हैं। हम लोग माननीय सदन में चुन कर आए हैं। जब आप कोई काम करते हैं तो क्या उसमें हम अपना पक्ष नहीं रखें?

श्री मुकेश अग्निहोत्री क्रमागतः

अध्यक्ष महोदय, यह कैसी सरकार है जो पूरे साल में बच्चों को वर्दी नहीं दे पाई! प्रदेश के 8 लाख 50 हजार बच्चे हैं, पूरा साल इन बच्चों को वर्दी नहीं मिली।

अध्यक्षः इसके लिए प्रश्न लगे हुए हैं आप उन प्रश्नों पर चर्चा कर लेना। --(व्यवधान)--

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः विभाग लड़ रहे हैं, आप टेंडर नहीं कर पा रहे हैं। आप बताईये कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है?

अध्यक्षः छः दिन सैशन चलेगा, आप सब विषयों पर चर्चा करें और नोटिस देकर चर्चा करें। बिना नोटिस के चर्चा मत करें।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः मुख्य मंत्री जी, जो हमें लगातार धमका रहे हैं उसके लिए सदन में माफी मांगें कि वे आगे को हमें नहीं धमकायेंगे।

अध्यक्षः आप नेता प्रतिपक्ष हैं, बिना नोटिस के चर्चा न करें।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः जो बच्चों को वर्दी नहीं मिली, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या आपने उसके लिए जिम्मेवारी तय की कि आखिर बच्चों को वर्दी क्यों नहीं मिली?

अध्यक्षः प्लीज़, आप इस विषय के लिए नोटिस दे दीजिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः आप बाबा रामदेव को कौड़ियों के भाव जमीन दे देते हैं। --(व्यवधान)--

(नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित विभिन्न विषयों पर केन्द्रीत एक ज्ञापन सदन के पटल पर रखा)

अध्यक्षः आप नोटिस दे दीजिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः उसकी टर्नओवर 10 हजार करोड़ रुपये की है। --(व्यवधान)-- वह एक व्यापारी है।

Speaker: Not to be recorded. --(व्यवधान)--

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे और अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

प्लीज़ बैठिये। प्लीज़ सभी लोग बैठ जाएं। बैठिये, बैठिये। माननीय मंत्रिगण बैठिये।

प्रश्न काल आरम्भ। स्थगित प्रश्न, प्रश्न संख्याः 85, श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी। --(व्यवधान)-- श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी, क्या आप अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अगला प्रश्न बोलूं?

10.12.2018/1410/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 85

श्री बिक्रम सिंह जरयालः माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि एक्स सर्विस मैन की पोस्टें खाली पड़ी हैं तो क्यों न उनके आश्रितों से वे पोस्टें भर दी जाए? मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे ऐसा करेंगें?

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के बारे में कहा, मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 1 जनवरी, 2018 से ले कर 4 जनवरी, 2018 तक 262 पोस्टें भरी गई हैं और उन पोस्टों में से 10 पोस्टें भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों से भरी गई हैं। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, इसके बारे में ध्यान दिया जाएगा और आगे से आश्रितों की ज्यादा से ज्यादा पोस्टें भरी जाएंगी।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने एक रूलिंग निकाली है कि जब तक भूतपूर्व सैनिक ट्रेनिंग करके

उस पद के योग्य नहीं होता तो दो साल तक उस पद को खाली रखा जाएगा। मेरा निवेदन रहेगा कि जो यह रूलिंग है, इसको निकाल दिया जाए और अगर उस योग्य भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो उनके बच्चों को वह नौकरी दे दी जाए।

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो कहा कि रूलिंग को चेंज किया जाए, मैं इसके बारे में देखूंगा और अगर यह विषय ठीक हो सकता है तो इसको ठीक करने की कोशिश करेंगें।

प्रश्न संख्याः 804

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी (not interested)

प्रश्न संख्याः 805

अध्यक्षः श्री जगत सिंह नेगी जी (not interested)

प्रश्न संख्याः 806

अध्यक्षः श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (absent)

प्रश्न संख्याः 807

अध्यक्षः श्री अनिरुद्ध सिंह जी (not interested)

प्रश्न संख्याः 808

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री जी ने जो सूचना सभा पर रखी गई है, इसमें Himachal Pradesh Rural Water Supply Project (BRICS), Remodeling / Renovation of Old Rural Water Supply Schemes of Himachal

Pradesh के बारे में Project Proposal titled "Doubling Farmers' Income through Water Conservation, EAP proposal regarding sewerage facilities & solid waste management system for Parwanoo, Palampur, Nahan, Bilaspur & Mandi town and Project proposal titled " Himachal Pradesh Flood and River Management Project"

10.12.2018/1415/av/dc/1

आपने इस बारे में सूचना सभा पटल पर रख दी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि जो मेरा अगला प्रश्न 845 लगा हुआ है उसकी राशि को जोड़कर कुल कितनी राशि बनेगी? जयराम जी की सरकार जो इसके अलावा भारत सरकार से राशि लाने में कामयाब हुई है और इसमें नहीं दिखाई गई है, आप उसका ब्यौरा भी दें। पिछले 70 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में विधान सभा के अंदर जब भी सरकारें बनी हैं क्या कोई सरकार 10 महीने में इतनी राशि ला सकी है? आप इस राशि का ब्यौरा दीजिए, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि यह पैसा धरातल पर कब-कब और किस-किस प्रकार से उतरेगा?

(कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य सभा मण्डप के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे। (2.17 बजे)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि वर्तमान सरकार ने दस महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के लिए भारत सरकार से कितनी राशि लाई है। मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर के माध्यम से प्रदेश की जनता को प्रदेश सरकार की दस महीने की उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूं। इसके अंतर्गत स्वां खड्ड के चेनेलाइजेशन का जो पैसा रुका पड़ा था उस पैसे को लाने में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने अपने दस महीने के कार्यकाल के बीच में जो प्रयास किए हैं उसके माध्यम से स्वां खड्ड की चेनेलाइजेशन के लिए 356 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त छोंछ खड्ड के चेनेलाइजेशन के लिए भी हमारी सरकार के भरसक प्रयासों से 153.60 करोड़ रुपये की राशि आई है। मैं

इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का जहां हार्दिक धन्यवाद करता हूं वहीं भारत सरकार में हमारे मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। इस दस महीने के कार्यकाल के बीच में जो सीवरेज की हमारी पांवटा की योजना है उसके लिए भी वर्तमान सरकार 11.57 करोड़ रुपये लेकर आई है जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और पांवटा क्षेत्र के अपने सभी भाई-बहनों व वहां से सम्बंधित विधायक आदरणीय सुख राम जी को हार्दिक बधाई और शुभ-कामनाएं देना चाहता हूं।

(2.19 बजे अपराह्न, कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये।

मैंने आदरणीय नेता विपक्ष को कहा था कि ज्यादा शोरगुल करने से नुकसान होता है। इस विधान सभा का एक घंटे का प्रश्न काल होता है और यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको चलने दीजिए

10-12-2018/1420/TCV/HK/1

और उसके उपरान्त अगर आप किसी विषय को उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे ही सरकार बनी और मुझे सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सौंपने के पश्चात् माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरा मार्ग प्रशस्त करते हुए आदेश दिए कि हिमाचल प्रदेश का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पीने के पानी की बहुत समस्या है। उससे निपटने लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं। हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत चिंतित है और जब भी विश्व स्तर का कोई सम्मेलन होता है तो उसमें वे अवश्य ही इस विषय को उठाते हैं। माननीय विधायक, श्री राकेश पठानिया जी ने जो प्रश्न पूछा है, उसके बारे में, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमने दो परियोजनाओं का कंसैप्ट नोट बनाया और उसमें एक परियोजना वर्ष 2000 से पहले की बनी हुई थी। उस वक्त प्रदेश की आबादी कम थी और जो परियोजनाएं 1970-80 व 90 के दशक में बनी है, उनकी हालत अब ऐसी हो चुकी है कि उनकी पाइपें भी गलने-सड़ने के कगार पर हैं। उसके लिए विभाग ने माननीय मुख्य

मंत्री जी के आदेशानुसार मु0 798.19 करोड़ रुपये की एक परियोजना भारत सरकार को भेजी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जलवायु परिवर्तन को लेकर एक संकल्प है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरा मार्गदर्शन किया और मु0 4751.24 करोड़ रुपये की एक योजना माननीय मुख्य मंत्री जी को सौंपी। मैं देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, इन्होंने भारत सरकार से ये दोनों बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत करवा दी है। माननीय अध्यक्ष जी हमारा काम यही नहीं रुका जैसा इन्होंने कहा है, एक प्रश्न संख्या 845 लगा है। उसमें आप देखेंगे कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की अनेकों परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से 10 महीने में धनराशि स्वीकृत हुई है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र जो 5000 फुट की ऊंचाई से नीचे का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आजादी के 70 साल बीत जाने के उपरान्त भी बागवानी की गतिविधियां जिस प्रकार से बढ़नी चाहिए तो वह गतिविधियां नहीं बढ़ी। बागवानी विभाग के अधिकारियों ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मु0 1688 करोड़ रुपये की बनाई और इसके साथ ही मशरूम का मु0 423 करोड़ रुपये का एक प्रोजैक्ट भारत सरकार को भेजा। मैं भारत सरकार और माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी व माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारी ये दोनों योजनाएं भी स्वीकृत हो चुकी है। माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के 5 शहरों में मल निकासी की योजनाएं लम्बित पड़ी हुई थी। इन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार ने मु0 387 करोड़ रुपया और स्वीकृत किया है। मैं इसके लिए भी प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इन 10 महीनों के कार्यकाल में जो कुल स्वीकृतियां हमें प्राप्त हुई है, अगर इन सभी स्वीकृतियों का जोड़ किया जाए तो केवलमात्र सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की 8,560 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां भारत सरकार से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा विभाग के कई प्रोजेक्ट भारत सरकार के पास पाईपलाइन में हैं। मैं माननीय सदस्य पठानिया जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमने हिमाचल प्रदेश का एक और प्रोजेक्ट भारत सरकार को भेजा है। पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल प्रदेश में कई छोटे-छोटे नाले, खड्डें और नदियां बहती हैं और जब बरसात आती है तो ये बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। कभी खड्ड इस तरफ और कभी उस तरफ का पथ तोड़ती है। इसलिए यह आवश्यक था कि पूरे प्रदेश के लिए चैनलाईजेशन या फ्लड मेनेज़मैंट के लिए एक

प्रोजेक्ट बनाया जाए। इसलिए हमने एक प्रोजेक्ट 4,893 करोड़ रुपये का बना करके भारत सरकार के पास भेजा है। हमने Department of Economic Affairs के पास प्रोजेक्ट भेजा है और मुझे उम्मीद है कि इसके लिए इसी महीने मीटिंग होगी और इसी महीने की मीटिंग में 4,893 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत होने की तरफ बढ़ रहा है। हमने एक और प्रोजेक्ट जोकि सीवरेज़ का है, " नमामि गंगे " में जैसे मैंने पांवटा साहिब के बारे में कहा, उसी तरीके से हमने राजगढ़ सीवरेज़ का एक प्रोजेक्ट लगभग 18.92 करोड़ रुपये का भेजा है। सोलन का एक सीवरेज़ प्रोजेक्ट लगभग 80.74 करोड़ रुपये का भेजा है। माननीय अध्यक्ष महोदय हम आपको और आपके चुनाव क्षेत्र को इससे बाहर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने आपके चुनाव क्षेत्र नाहन जोकि सिरमौर जिला का मुख्यालय है, वहां के लिए लगभग 72 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट भेजा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से जो हमारे पाईपलाइन के प्रोजेक्ट हैं, ये लगभग 5065 करोड़ रुपये के हैं और ये प्रोजेक्ट कुछ ही महीनों में स्वीकृत हो करके हिमाचल प्रदेश को हासिल होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हम पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक और प्रोजेक्ट भेज रहे हैं ताकि पूरे हिमाचल प्रदेश की जितनी भी भूमि है, वह सिंचाई के अन्तर्गत लाई जा सके। इसके लिए विभाग लगभग 4,506 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट की डी0पी0आर0 तैयार करने की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही डी0पी0आर0 तैयार होगी, इसका कन्सैप्ट नोट बना करके भारत सरकार को भेजेंगे। इस प्रकार के प्रयास केवलमात्र दस महीने के

कार्यकाल के बीच में हुए हैं। यह तो सिर्फ दो विभागों की बात है। यहां पर पर्यटन विभाग भी है, यह विभाग मेरे पास नहीं है लेकिन इसके लिए भी लगभग 1900 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बना है। मैं, इस सदन के माध्यम से प्रदेश की ज़नता को बताना चाहता हूं और इन विपक्ष के मित्रों को भी सुनाना चाहता हूं, जो यहां से बाहर चले गए हैं तथा मुझे पता है कि ये (विपक्ष) मेरे सामने नहीं बैठेंगे। क्योंकि हमने सारा विवरण यहां पर लाया है, जिसके लिए विपक्ष वाले कहते थे कि मुख्य मंत्री जी और मंत्रिमंडल के सदस्य दिल्ली घूमते रहते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 8,560 करोड़ रुपये इन दस महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी ने स्वीकृत करके लाये हैं। मैं इसके लिए इन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

अध्यक्षः माननीय राकेश जी, बहुत हो गया।

श्री राकेश पठानियाः सर, मैं थोड़ा-सा पूछना चाहता हूं।

अध्यक्षः माननीय राकेश पठानिया जी आप पूछिए।

श्री राकेश पठानियाः मैं ज्यादा सप्लीमैंटरी नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने जबाव दिया है, उसकी अंतिम लाईन पढ़ करके सुनाने जा रहा हूं और इसके तथ्य मांगने जा रहा हूं। दोनों प्रश्न क्लब किए गए हैं। मैंने यह मांगा था कि कांगड़ा जिले में कितनी धनराशि खर्च हुई है? इसके लिए आपका जबाव आया कि पिछले तीन वर्षों में यानी कांग्रेस सरकार के तीन वर्षों में जिला कांगड़ा में इन दोनों परियोजनाओं के अन्तर्गत कोई भी कार्य नहीं किया गया और कोई धनराशि व्यय नहीं की गई। अगर यह सच्चाई है तो आज ये लोग (विपक्ष) जो यहां से वॉकआउट करके गए हैं और यहां पर आकर नारे लगा रहे हैं तो ये सौतेला व्यवहार कांगड़ा के साथ करते थे, इसके लिए इन्हें शर्म आनी चाहिए और इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आज यहां पर आ करके बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। जिस तरीके का सौतेला व्यवहार इन्होंने कांगड़ा के साथ किया है, वह कदापि बर्दाश्त नहीं होगा।

10.12.2018/1430/RKS/YK-1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल जायज है लेकिन मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी योजनाएं भारत सरकार से स्वीकृत हो रही हैं, वे योजनाएं पूरे प्रदेश के लिए हैं। किसी भी जिला या किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जो प्रश्न आगे लगा है निश्चित तौर पर उसकी सप्लीमैंटरी का जवाब मैं इस समय नहीं दे सकता हूं। हमें भी इस बात की चिंता है कि जो प्रोजैक्ट वर्ष 2016-17 में शुरू हुआ था, उस प्रोजैक्ट के तहत जो जिला कांगड़ा में होना चाहिए था वह नहीं हुआ। लेकिन मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार के समय जितने भी प्रोजैक्ट स्वीकृत होंगे उन प्रोजैक्टों में हर विधान सभा चुनाव क्षेत्र की योजनाओं को शामिल किया जाएगा।

<u>प्रश्न संख्याः809</u>

अध्यक्षः श्री सुंदर सिंह ठाकुर(अनुपस्थित)।

प्रश्न संख्याः810

अध्यक्षः श्री हर्षवर्धन चौहान, प्राधिकृत श्री जगत सिंह नेगी, (अनुपस्थित)।

प्रश्न संख्याः811

अध्यक्षः श्री राजेन्द्र राणा (अनुपस्थित)।

प्रश्न संख्याः812

श्री नरेन्द्र ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पट्टल पर रखी गई है वह संतोषजनक नहीं है। हमीरपुर बस स्टैंड का शिलान्यास लगभग 8 वर्ष पहले वर्ष 2010 में हुआ था। मेरी जानकारी के मुताबिक 80 कनाल भूमि HRTC के नाम भी हस्तांतरित हो चुकी है। इस बस अड्डे का निर्माण कार्य पी.पी.पी. (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) आधार पर वर्ष 2011 में M/S MEP Mumbai फर्म को आबंटित किया गया था। आज वर्ष 2018 चल रहा है परंतु वहां पर प्रैक्टिकली कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो M/S MEP Mumbai फर्म को कार्य आबंटित किया गया था उस कार्य का आबंटन कब रद्द किया गया और इसको रद्द करने के क्या कारण थे? दूसरा, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस कार्य का पुनः प्रोसैस कब से शुरू किया जा रहा है और यह बस अड्डा बनना भी है या नहीं; यह स्पष्ट किया जाए?

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न उचित है। अभी जो विपक्ष के माननीय सदस्य इस सदन से बाहर गए हैं उससे एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता

है कि हिमाचल प्रदेश में बदले की भावना से राजनीति करना और साथ में जो अच्छा इन्वैस्टर यहां पर आए उसको भगाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए। हमीरपुर के बजूरी में खसरा नं014/1, खतौनी नं0-1, रकवा 28302.50 वर्ग मीटर, लगभग 37 बीघा भूमि पर वर्ष 2010 में तत्कालीन मुख्य मंत्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने शिलान्यास किया था। वर्ष 2011 में यहां पर निविदा आमंत्रित की गई जिसमें M/S MEP Mumbai फर्म को यह कार्य आबंटित किया गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन होने के बाद यह प्रयास किए जाते रहे कि यह बस अड्डा न बने और उस समय की सरकार उस फर्म को लगातार प्रताड़ित करने का काम करती रही। उसके पश्चात् डिजाइन अप्रूवल कमेटी का बहाना बनाकर उस काम को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया गया। उस कंपनी को मजबूरन 3.25 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी, 67 लाख रुपये की प्राजैक्ट डिवैल्पमैंट फीस वापिस करनी पड़ी जबकि 4-5 साल तक HRTC 67 लाख रुपये की राशि का इंटरस्ट लेती रही। यानी बाहर के अच्छे ग्रुप को भगाने का काम उस समय की सरकार करती रही।

10.12.2018/1435/बी.एस./वाई.के./-1

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें सबसे अच्छी बात क्या थी? जब उस बस अड्डे के कार्य का आबंटन किया गया, उस वक्त लगभग 65 करोड़ रुपये में हमीरपुर का बस अड्डा बनाया जाना था, उसमें प्रतिवर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार को 67 लाख रुपये की राशि मिलनी थी और हर तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि उस राशि में होनी थी। एच.आर.टी.सी.की जो बसें हैं उन बसों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाना था। लेकिन कांग्रेस की सरकार द्वारा बदले की भावना से इसे रद्द कर दिया गया । उसके साथ अध्यक्ष महोदय, उस वक्त सरकारी धन का कितना ज्यादा दुरूपयोग हुआ यह भी मैं इस माननीय सदन को बताना चाहता हूं। बस अड्डा मेनेजमैंट अथॉरिटी ने इसमें 90 लाख रुपये अपने खर्च करके अपने ही पैसा का दुरूपयोग किया। उक्त कंपनी ने इस खर्चे के अलावा और भी सरकारी धन का खर्च किया। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इस अड्डे के निर्माण हेतु

माननीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने कंसलटेंट हायर करने के लिए विभाग को पत्र लिखा है। हम बहुत जल्द कंसलटेंट हायर करके पी.पी.मोड पर इस अड्डे का फिर से टैंडर करेंगे। और बहुत जल्द हमीरपुर के बस अड्डे का निर्माण कार्य पूरा करेंगे। इस कार्य में किसी तरह की देरी नहीं की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और छोटी सी जानकारी माननीय सदन को देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पूर्व सरकार के समय ऊना के बस अड्डे का कार्य भी इसी फर्म को दिया गया था । इस फर्म ने यह कहा कि 72 लाख रुपये प्रति वर्ष वे सरकार को देंगे और वे एच.आर.टी.सी. की बसों से पैसा नहीं लेगें। हमारी सरकार के बाद बीच में जब कांग्रेस की सरकार आई उस समय कांग्रेस की सरकार ने जो कार्य किए उन सभी को बता कर मैं माननीय सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। परंतु हम कार्य करने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं बता दूं कि 28.48 लाख प्रति वर्ष वे दे रहे हैं। एच.आर.टी.सी. की बसों के चार्जिज 79 लाख रुपये अतिरिक्त हमें देना पड़ रहा है। इस बात से पता लगाया जा सकता है कि सरकारी धन का कितना दुरूपयोग किया जा रहा है मुझे इस विषय पर इतना ही कहना है।

श्री नरेन्द्र ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यहां पर जवाब दिया है उससे मैं सहमत हूं , पिछली कांग्रेस की सरकार जो विकास की बात करती है परंतु धरातल में पांच वर्ष तक कुछ नहीं किया। उनकी गलतियों का खामियाजा हम नहीं भुगतना चाहते। हमीरपुर में बस अड्डा न बनने के कारण वहां मेन रोड शहर से गुजरा है वहां पर हर समय ट्रैफिक जाम लगा रहता है। मैं तो मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उस समय जिन लोगों ने ये गलतियां की हैं उनका भी पता लगतना चाहिए । मैं इस चीज की इंक्वायरी की मांग करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से अवश्य आश्वासन चाहूंगा कि यह बस अड्डा बनना हमारे लिए मेंडेटरी है। अन्यथा हमारी शहर में परिवहन की व्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं चाहूंगा कि इसकी सारी जो औपचारिकताएं हैं उन्हें जल्दी से पूरा किया जाए ताकि इस बस अड्डे की सुविधा लोंगो को मिल सके। जिन लोगों की वजह से इस कार्य में देरी हुई है

and the person responsible his name should be disclosed here. उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए।

वन **मंत्री** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्द इस अड्डे की सारी प्रक्रिया पूर्ण करके जल्द-से-जल्द इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा और इसको तैयार करके लोगों को प्रदान करेंगे।

प्रश्न संख्याः 813

श्री रमेश चन्द ध्वाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है वह हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री जी ने पिछले विधान सभा सत्र में भी कहा था कि ये

10/12/2018/1440/RG/AG/1

जो हमारे सूखे हुए, उखड़े हुए या टूटे हुए पेड़ हैं तो क्या विभाग इनको रिकॉर्ड समय में जंगल से निकाल कर इसमें से जो भी इमारती लकड़ी निकल सकती है क्या इसको टाईमबॉण्ड करेंगे कि कितने दिनों में इसकी लकड़ी जंगलों से बाहर निकाल कर उसकी इमारती लकड़ी बनाई जाएगी?

अध्यक्ष महोदय, यहां जो उत्तर दिया हुआ है कि सड़क न होने के कारण लकड़ी नहीं निकाली जा सकती है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन रहेगा कि यह हिमाचल प्रदेश की सम्पत्ति है और इसमें समय निश्चित किया जाए कि एक-दो या तीन महीने के बाद यह लकड़ी जंगल से निकलनी चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज़ है, उससे कुछ राहत मिल सके। तो मेरा मूल प्रश्न इस लकड़ी को इमारती लकड़ी में परिवर्तित करने के लिए है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त खैर ट्री से न तो सरकार को कोई फायदा हो रहा है और लोग अधिकतर ठेकेदारों की मिलीभगत से वह खैर चोरी कर रहे हैं जो सरकारी जमीन में है। सरकारी जमीन में जो खैर है उसकी वैलिडिटी लगभग 25 वर्ष है और 25 वर्षों के बाद वह खैर खोखला हो जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से ग्रीन फैलिंग के ऊपर प्रतिबन्ध लगा हुआ था। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन

है कि किस-किस जिले में ट्रायल बेस पर कोर्ट ने चील, साल और खैर के पेड़ को काटने के लिए स्वीकृति दी है? मेरा कहना तो यह है कि जिला कांगड़ा के खैर के पेड़ों से ही पूरे प्रदेश का कर्ज़ हम अदा कर सकते हैं। इसके अलावा जिला ऊना, बिलासपुर और चम्बा में भी खैर के पेड़ हैं। जिस तरीके से गांवों में लोगों को दस वर्ष के पश्चात फैलिंग ऑर्डर दिए जाते हैं तो क्या सरकार योजनाबद्ध तरीके से या फिर कोई ऐसी टीम बनाकर ऐसा करेगी? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ट्रायल बेस पर इजाज़त दी है, तो किस-किस जगह पर ये खैर के पेड़ काटे जा सकते हैं? मेरा कहना यही है कि इससे हमारी आर्थिकी भी मजबूत हो सकती है। इसके अतिरिक्त एक बात और है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो पूरा भाषण हो गया। आप केवल प्रश्न करिए।

श्री रमेश चंद ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिद्वंदी चले गए हैं, तो अब प्रश्न यही है कि वर्किंग प्लान में जितने भी खैर के या अन्य पेड़ काटे जाएं, उतने नए लगाए जाते हैं।
अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री ने भी इसका उत्तर देना है।

श्री रमेश चंद ध्वाला : तो क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि इसमें लोगों की भागीदारी से जितने वृक्ष काटे जाएंगे उतने ही लगाए जाएंगे अर्थात इसमें लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए, मैं यही आश्वासन चाहता हूं।

10/12/2018/1445/MS/AG/1

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और इन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। इन्होंने प्रश्न भी पूछ लिया और जो उत्तर मुझे देना था, वह उत्तर भी इन्होंने दे दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 27 दिसम्बर, 2017 को हिमाचल प्रदेश में श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार बनी और हमारी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में ग्रीन फैलिंग पर जो रोक थी उसमें अनुमति के लिए विशेष प्रयास किए। वर्ष 1983 से हिमाचल प्रदेश में ग्रीन फैलिंग बन्द रही। यदि हम लोग इसका अन्दाजा लगाएं तो यह नुकसान लगभग 8 या 9 हजार करोड़ रुपये बनता है यानी प्रतिवर्ष 400-500 करोड़ रुपये का नुकसान हम कह

सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 16 फरवरी, 2018 को हिमाचल प्रदेश के तीन वन मण्डलों की तीन रेंजिज, जिनमें बिलासपुर वन मण्डल की भराड़ी रेंज से चीड़ प्रजाति के वृक्षों को निकालना..,

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, यह सूचना आपके लिखित उत्तर में है इसलिए थोड़ा संक्षिप्त कीजिए क्योंकि अभी अगले प्रश्न भी आने हैं।

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जो श्री बी0पी0 मोहन की अध्यक्षता में कमेटी बनी है उसके पश्चात गिरे-पड़े या सूखे पेड़ों की वन विभाग और हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कारपोरेशन संयुक्त रूप से मार्किंग करते हैं और इनको निकाला जाता है। लेकिन जो ऐसे पेड़ हैं जिनको नहीं निकाल सकते हैं उनके लिए हमने यह परिवर्तन किया है कि वहां पर स्थानीय लोगों को टी0डी0 में या सरकारी विभाग के लोग जो वहां पर काम करते हैं, तो सरकारी विभागों के लिए भी वे उस लकड़ी को उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा हमने एक निर्णय यह भी लिया है कि जैसे पहले वन विभाग और वन निगम फर्नीचर बनाने का भी काम करते थे परन्तु हमने पाया कि हमारा फर्नीचर नहीं बिकता है यानी उससे कमाई नहीं होती है लेकिन हिमाचल प्रदेश की वुडन फ्लोरिंग और वुडन पैनलिंग की बहुत डिमाण्ड है और उस डिमाण्ड को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए अब हम उस काम को इसके माध्यम से प्रारंभ करने वाले हैं। जो माननीय सदस्य ने ग्रीन फैलिंग के बारे में पूछा है, मैं इनको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2018-19 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार लगभग 8614 पेड़ हैं जिनका घनत्व 10026 घन मीटर है और सरकार को एक वर्ष की निर्धारित दर के अनुसार उसमें लगभग 1.28 करोड़ रुपये की रॉयल्टी मिलेगी और लगभग इतनी ही रॉयल्टी एक वर्ष में वन निगम को प्राप्त होगी। माननीय सदस्य ने सही कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में विशेष योगदान रहेगा और सर्वोच्च न्यायालय का भी इसमें यही कन्सर्न है कि हम ग्रीन फैलिंग वैज्ञानिक तरीके से करें लेकिन ग्रीन फैलिंग करने के साथ-साथ हम नये जंगल उगाने का भी काम करें।

10.12.2018/1450/जेके/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 814

श्री राकेश जम्वालः माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह योजना 2013 में शुरु की गई और जो प्रश्न का उत्तर आया है उसमें लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। मात्र बिजली के कनैक्शन के कारण यह योजना शुरु नहीं हो पा रही है लेकिन जो मेरी जानकारी है, जब मैंने आई0पी0एच0 व बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत की तो आई0पी0एच0 विभाग ने बिजली विभाग को कहा कि वहां पर ट्रांसफार्मर लगा दो और बिजली विभाग यह कह रहा है कि वहां पर सड़क नहीं है इसलिए उस खड्ड में हमें ट्रांसफार्मर लगाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। इस योजना पर लगभग 90 लाख रूपया खर्च हो चुका है। मेरी जानकारी के मुताबिक इसमें 9-10 महीने का समय हो गया है लेकिन यह योजना सिर्फ बिजली के कनैक्शन के कारण रुकी पड़ी है। इसमें दो विभाग आई0पी0एच0 और बिजली विभाग शामिल थे लेकिन इनके साथ-साथ अब सड़क को भी जोड़ दिया गया है यानि अब पी0डब्ल्यू0डी0 को भी इसमें जोड़ दिया गया है। किस अधिकारी ने इस योजना की डी0पी0आर0 बनाई? उस समय डी0पी0आर0 बनाते हुए यह ध्यान नहीं रखा गया कि कहां पर ट्रांसफार्मर लगना है और कैसे उस ट्रांसफार्मर को उस खड्ड तक पहुंचाया जाएगा? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इसकी जांच करवाएंगे क्योंकि जिस अधिकारी ने यह डी0पी0आर0 बनाई है और यह गलती की है, उस क्षेत्र की यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिस पर 90 लाख रुपया खर्च हो चुका है और अभी तक भी उसका काम रुका हुआ है, क्या उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? इसके साथ-साथ बिजली का कनैक्शन देने के लिए ट्रांसफार्मर उस स्थान पर पहुंचाने के लिए विभाग की क्या योजना है?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने यहां पर बिल्कुल ठीक कहा कि एक पेयजल परियोजना जो केवलमात्र एक ट्रांसफार्मर न लगने की वजह से रुकी पड़ी है। हजारों लोगों को उस पेयजल योजना से पानी पहुंचना है। जब भी कोई डी0पी0आर0 बनती है तो आई0पी0एच0 विभाग उसमें अपना हैड लेता है । उसके मुताबिक उसका डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम, पम्पिंग मशीनरी, राइज़िग मेन इत्यादि, उसमें हम

किसी भी ट्रांसफार्मर को साइट तक पहुंचाने का ऐस्टिमेट में कोई प्रोविज़न नहीं करते हैं लेकिन अब 95 प्रतिशत काम हो चुका है और 5 प्रतिशत काम को लेकर हमारी एक पेयजल परियोजना रुकी पड़ी है। मैंने यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी से बैठे-बैठे निवेदन किया है कि इसमें दो किलो- मीटर का रास्ता बनना है क्योंकि न तो हम उसके लिए पैसा दे सकते हैं और न ही बिजली बोर्ड ही उसके लिए पैसा दे सकता है। **माननीय मुख्य मंत्री जी ने माना है कि ठीक है उसमें जितना पैसा लगना है उसमें आई0पी0एच0 विभाग उसके लिए डिटेल्ड एस्टिमेट बनाएगा और जितना भी पैसा लगेगा उसके लिए पैसा दे दिया जाएगा। इस योजना को हम तीन महीने के अन्दर-अन्दर चालू करेंगे।**

प्रश्न संख्याः 815

श्री परमजीत सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो बद्दी की पॉपुलेशन है वह तीन लाख के करीब पहुंच चुकी है। जो सब सेन्टर की बिल्डिंग बीस साल पहले थी वह अपग्रेड हुई, पी0एच0सी0 हुई और फिर सी0एच0सी0 हुई लेकिन जो यह बिल्डिंग है वह बीस साल पुरानी है। वह बिल्डिंग बीस साल पहले बनी थी। पिछले दिनों माननीय मंत्री जी का मेरे क्षेत्र का दौरा हुआ था और मैंने मंत्री जी से आग्रह किया था। मेरे आग्रह पर मंत्री जी उस हॉस्पिटल में गए थे लेकिन बीस साल पहले जो बद्दी की पॉपुलेशन थी वह तीन हजार थी। आज बद्दी की पॉपुलेशन तीन लाख के करीब है। माननीय अध्यक्ष महोदय आप सरकार में जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो आपने उस बिल्डिंग का शिलान्यास भी किया था। उस सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार आई। आदरणीय कौल सिंह ठाकुर जी, स्वास्थ्य मंत्री बनें और वे भी उसका शिलान्यास कर गए। लेकिन इस बिल्डिंग की दुर्दशा आज तक वही बनी हुई है। मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन भी किया था और मैं विभाग में भी गया था उसमें , 1,33,73,000/- रुपये सेंक्शन भी हो चुका है। लेकिन इसकी ड्रॉइंग एवं सर्वे पता नहीं कहां-कहां विभाग में धूल फांक रही है, उसका मुझे पता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इस बिल्डिंग को जल्दी-से-जल्दी बनाया जाए। बद्दी की जो पापुलेशन है उसके हिसाब से इसकी (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बद्दी) बुरी हालत है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, उत्तर आने दो, नहीं तो समय खत्म हो जायेगा।

श्री परमजीत सिंहः सर, एक मिनट प्लीज़। पिछले महीने एक आई0ए0एस0 ऑफिसर की फैमिली का बद्दी में एक्सीडैंट हुआ तो उनका मुझे फोन आया। वे बच्चों को लेकर हॉस्पिटल गए तो मुझे शर्मिन्दगी महसूस करनी पड़ी कि हम लोग इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जहां पर इतनी पापुलेशन होने के बाद उनको बैड भी नहीं मिला। मैंने उनसे कहा कि मुझे विधायक बने हुए सिर्फ तीन महीने ही हुए हैं, ये पिछले लोगों के कारनामे हैं तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें जल्दी-से-जल्दी बिल्डिंग का निर्माण किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता बड़ी वाजिब है परन्तु समय को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब 2017 में चुनाव हुए तो उससे पहले इस प्रकार के अनगिनत स्वास्थ्य संस्थान खोल दिए गए। ऐसे स्वास्थ्य संस्थान जहां पर अपग्रेडेशन की गई वहां पर उचित धन की व्यवस्था नहीं हुई। हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि फाइलें या डी0पी0आरज़0 कहां पर धूल चाट रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर धूल चाटने की बात नहीं है बल्कि इस विभाग में धूल को साफ किया जा रहा है। यह मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं। जो 1,33,00,000/- रुपये का ज़िक्र कर रहे हैं यह सी0एच0सी0 के लिए धनराशि दी गई थी। उसके बाद चुनाव आचार संहिता के चार दिन पहले इसको अपग्रेड कर दिया गया। इसलिए इसकी ड्राईंग्ज़ बनाई जा रही हैं, इसकी डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं **आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वहां की परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए जल्दी-से-जल्दी जो लोक निर्माण विभाग के पास डी0पी0आर0 है या वहां पर ड्राईंग्ज़ है उसकी एप्रूवल दिलवाई जायेगी तथा उसका काम शुरू किया जायेगा।**

प्रश्न संख्याः 816

श्री किशोरी लालः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में दो आई0टी0आईज़0 वर्ष 2012 में जिसका हमने शिलान्यास किया था, पिछले पांच वर्ष बीते कांग्रेस की सरकार में उसमें कोई काम नहीं हुआ है। अभी हाल ही में माननीय मंत्री जी दो महीने पहले मेरे चुनाव क्षेत्र में आए थे तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कब तक इन दोनों भवनों का उद्घाटन किया जायेगा?

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इसमें सूचना पूरी डिटेल में दे दी गई है लेकिन यह जो इन्होंने पूछा है कि इनका उद्घाटन कब तक होगा, इसमें एक तो आपके ध्यान में यह रहे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दलाश के भवन की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल हो गई है और 20 लाख रुपया जारी हो गया है।

दूसरा जो आपका दलाश के अतिरिक्त निरमण्ड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, इसके लिए लोक निर्माण विभाग के पास कुल 387.94 लाख रुपया जमा हो गया है और इसका काम अतिशीघ्र करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसमें थोड़ा काम हो गया है। लेकिन आपके जो पहले साइट्स देखी गई थी, वह ठीक नहीं थी। इसलिए जमीन दोबारा देखी गई है, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि अतिशीघ्र इसका शिलान्यास करवाया जाए।

10.12.2018/1500/केएस/एचके/1

प्रश्न संख्याः 817

श्री इन्द्र सिंह (बल्ह): माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय से चाहूंगा कि जो थापला-वौहट-सहारका सड़क है, जिसके लिए 2018-19 में एक लाख रुपये का बजट प्रावधान है, मैं चाहूंगा कि यह जो हरिजन बस्ति है यहां पर अभी भी लोग अपने

साधनों से यानि कुर्सी पर या पालकी के ऊपर मरीजों को लाते हैं, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि आम जनता को इसकी सुविधा मिल सके।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में बहुत सारी सड़कों का ज़िक्र आया है। लिखित रूप से माननीय सदस्य को इसका उत्तर उपलब्ध करवा दिया गया है लेकिन फिर भी जैसे माननीय सदस्य जी ने कहा है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह सड़क बन कर तैयार हो, जल्दी से जल्दी यह काम शुरू हो, मैं इस बात को सुनिश्चित करुंगा और विभाग को आदेश दूंगा ताकि यह सड़क जल्दी से जल्दी बन कर तैयार हो। इसके साथ ही इन्होंने जो दूसरी सड़कों का भी जिक्र किया है, उनके संदर्भ में भी मुझे यही कहना है कि इसमें जल्दी से जल्दी आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दे दिए जाएंगें।

प्रश्न काल समाप्त

10.12.2018/1500/केएस/एचके/2

<u>सप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगें।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो इस प्रकार हैः-

सोमवार, 10 दिसम्बर, 2018 शासकीय/ विधायी कार्य

मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2018	शासकीय/ विधायी कार्य
बुधवार, 12 दिसम्बर, 2018	शासकीय/ विधायी कार्य
वीरवार, 13 दिसम्बर, 2018	(1)शासकीय/ विधायी कार्यः (2) गैर-सरकारी सदस्य कार्य।
शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2018	शासकीय/ विधायी कार्य
शनिवार, 15 दिसम्बर, 2018	शासकीय एवं विधायी कार्य

स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

अध्यक्षः अब सचिव, विधान सभा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 9) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ।

सचिवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 9) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ।

अध्यादेश

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 29.10.2018 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक 1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मुख्य मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1)के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 29.10.2018 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक 1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखता हूं।

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2018-19), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री सुख रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति, (वर्ष 2018-19), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः

i. समिति का 11वां मूल प्रतिवेदन जो कि महिला विकास प्रोत्साहन योजना से सम्बन्धित गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन जोकि प्रदेश में संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वृद्धों के लिए चलाये जा रहे वृद्ध आश्रमों से सम्बन्धित गतिविधियों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2018-19), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति, (वर्ष 2018-19), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति का पंचम् मूल प्रतिवेदन जोकि प्राथमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

ii. समिति का छठा मूल प्रतिवेदन जोकि उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्षः अब श्री राकेश जम्वाल जी, अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें तथा माननीय मुख्य मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगें।

10.12.2018/1505/av/hk/1

श्री राकेश जम्वाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 नवम्बर, 2018 को 'अमर उजाला' समाचार पत्र में 'चमुखा में फोर लेन से गिर रहे डंगों से हादसों का खतरा' शीर्ष से एक समाचार प्रकाशित हुआ। कीर्तपुर से मनाली जो फोर लेन का कार्य चला हुआ है इस फोर लेन के निर्माण की वजह से मेरे विधान सभा क्षेत्र सुन्दरनगर में चमुखा के पास पिछली बार बरसात के कारण भारी लैंडस्लाइड हुआ। उस बारे में वर्ष 2017 में स्थानीय प्रशासन और एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों को भी सूचना दी गई। वे मौके पर आए और मैं भी उनके साथ गया। वर्ष 2017 में एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों का मानना था कि बरसात के बाद हम इस सड़क को क्लीयर कर देंगे। लेकिन वर्ष 2018 की बरसात फिर से आ गई और बरसात के कारण वहां पर लगा एक ऊंचा डंगा फोर लेन पर गिरने की कगार पर है। उसके बाद फिर एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों को बुलाया, उनसे मौके पर बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे एक्सपर्ट आयेंगे और इसको देखेंगे तथा बरसात के समाप्त होने पर हम इन डंगों को तोड़ने का काम शुरू कर देंगे। वहां पर स्थानीय प्रशासन ने व्यवस्था कर

दी तथा दोनों तरफ पुलिस के जवान लगाकर वहां एक एम्बुलैंस खड़ी कर दी। लेकिन वहां पर फिर भी एक खतरा बना हुआ है। उसके अतिरिक्त निर्माणाधीन फोरलेन में एक लेन को बंद कर दिया है तथा वहां पर वर्तमान में एक ही लेन चल रही है। कई बार गाड़ियों की गति तेज होने के कारण वहां सड़क पर यह पता नहीं चलता कि एक तरफ से सड़क बंद कर दी गई है, न ही वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे पर्यटकों को यह पता चल सके कि आगे सड़क बंद है। जिसके कारण वहां पर ऐक्सिडैंट हो रहे हैं। वहां पर सड़क धंसने से स्पीड ब्रेकर बन गये हैं जिसके कारण एक छोटी कार का ऐक्सिडैंट होने से उसमें एक महिला की मृत्यु हो गई। इस वजह से वहां स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल है। वहां पर डंगों की यह स्थिति है कि उस पर कभी भी कोई बस या छोटी गाड़ी के गुजरने पर वे डंगे गिर जायेंगे और उससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप तुरंत उस संदर्भ में एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों से बात करें और उनको आदेश दें ताकि वहां पर जो वर्तमान में स्थिति बनी है उससे राहत मिल सके और स्थानीय जनता में जो डर पैदा हुआ है वह दूर हो सके।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि सुन्दरनगर से आगे नेशनल हाई-वे में ऊपर से एक बड़ा स्लाइड आने से यह परिस्थिति निर्मित हुई है। मैं उस स्थान पर व्यक्तिगत रूप से भी गया हूं। उसका निरीक्षण भी किया और साथ में विभाग को भी उसी वक्त आदेश दे दिए। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि वहां पर कुछ चीजें जो नेशनल हाई-वे की तरफ से होनी चाहिए थी उसमें कोताही जरूर हुई है। दोनों तरफ से फोर लेन का कार्य शुरू हो गया था, बीच में स्लाइड ऊपर से आया है और उसने सड़क की एक लेन को बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ है। यह भी सही है कि जब एक फोर लेन है तो सबको लगता है कि वह फोर लेन आगे तक होगा। उसमें बीच में किसी तरह का अवरोध नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में वहां गाड़ी की स्पीड दूसरी सड़कों की तुलना में ज्यादा होती है और उस कारण से वहां पर घटना की आशंका भी स्वाभाविक रूप से ज्यादा है। माननीय विधायक जी ने यहां पर जिस घटना का जिक्र किया है उसका मुझे भी खेद है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने एन0एच0ए0आई0 को जो उस काम को करने के आदेश दिए हैं,

10-12-2018/1510/TCV/YK/1

वह काम जो बरसात के मौसम में करना उचित नहीं था क्योंकि अगर हम थोड़ा-सा भी उस मलबे को हटाते तो ऊपर से सारा पहाड़ स्लाइड होकर आ जाता। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उसके बावजूद भी फोरलेन-कितरतपुर खण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-21 पर आम जनता की जिन्दगी और सम्पत्ति की सुरक्षा से जुड़े सार्वजनिक महत्व व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ठेकेदारों द्वारा किए गए निर्माण की गुणवत्ता से जुड़े संवेदनशील मामले के बारे में सरकार गंभीर है। इसके साथ ही राज्य सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ठेकेदारों द्वारा फोरलेन सड़कों को गैर-वैज्ञानिक तरीके से चौड़ा करने के लिए व ढ़लान के लगातार सड़क पर गिरने के बाद भी चिंतित है।

यह विदित है कि मौजूदा टू-लेन को फोरलेन में मुख्य रूप से पहाड़ों की ढ़लानों को काटकर चौड़ा किया जा रहा है। परन्तु पहाड़ी ढ़लानों को उचित ऊंचाई, दीवारों व अन्य उपयुक्त सुरक्षा उपायों द्वारा असुक्षित नहीं किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप सड़कों के साथ भारी भू-स्खलन हो रहा है, जिसके कारण यातायात में विघ्न और ऊपर की ओर व नीचे की ओर बनी सम्पत्ति व सार्वजनिक जीवन के लिए खतरा बना हुआ है। इसके अलावा इन असुक्षित ढ़लानों से फिसलने वाले बड़े-बड़े पत्थर यातायात के साथ-साथ घाटी पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान इन मामलों का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विभिन्न स्तर पर संज्ञान ले रहा है, लेकिन अभी तक पहाड़ी ढ़लानों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस उपाय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नहीं किए गए हैं। यहां यह बताना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि फोरलेन चौड़ाई के लिए पहाड़ी कटान की ऊंचाई बहुत अधिक है। भूमि चौड़ीकरण के लिए तत्काल उपयुक्त ढ़लान संरक्षण संरचनाओं और भूमि स्थिरीकरण उपायों को साथ-साथ करना

आवश्यक होता है। इसके अलावा सड़क निर्माण में सड़क यातायात योग्य और धूल मुक्त रखने के लिए भी पानी का नियमित रुप से छिड़काव करना भी आवश्यक होता है। यह

उपाय पहाड़ी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण व पर्यावरण एवं स्थानीय आबादी पर न्युनतम प्रतिकूल प्रभाव और सुरक्षित सड़कें प्रदान करने के लिए सड़क निर्माण का अभिन्न हिस्सा है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार समय-समय पर सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मंत्रालय भारत सरकार से मामला उठा रही है। मैं अपने स्तर पर जुलाई, 2018 श्री नितिन गडकरी ,माननीय केन्द्रीय मंत्री सड़क परिवहन मंत्रालय को ठेकेदार द्वारा किरतपुर-नेरचौक खण्ड के काम को बन्द करने का मामला उठाया था। हाल ही में अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक निर्माण ने व्यक्तिगत रूप में लिखित रूप में 12 नवम्बर, 2018 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन के साथ इस गंभीर मामले को उठाया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के चेयरमैन ने हिमाचल प्रदेश में फोरलेन के रखरखाव एवं निर्माण से संबंधित सभी मुद्दों को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया है। जिसके परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मुख्यालय से अधिकारियों की टीम को हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा फोरलेन के चल रहे कार्यों के बारे में उठाए गए विभिन्न मुद्दों की संवीक्षा करने हेतु नियुक्त किया है। जिस कारण से राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत कार्यों में भी तेजी आई है। इसके अलावा प्रमुख अभियन्ता, प्रोजेक्ट्स, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने 2 नवम्बर, 2018 को पत्र के माध्यम से इस मामले को क्षेत्रीय अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, शिमला के संज्ञान में लाया है। मैं पुनः नितिन गडकरी जी, माननीय केन्द्रीय मंत्री, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से मामला उठा रहा हूं, वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग को निर्देश दें कि हिमाचल प्रदेश में चल रहे फोरलेन के प्रति कार्य-पैकेज के संबंध में ढ़लान संरक्षण व प्रर्याप्त परिवहन यातायात संकेत स्थापित करने और स्थिरीकरण के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना बनाकर हिमाचल प्रदेश के साथ सांझा करें। जिसके उपरान्त सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी जो हिमाचल प्रदेश में चल रहे फोरलेन के प्रत्येक कार्य-पैकेज

की निगरानी करेगी। जिससे आम जनता को दिन-रात में सुरक्षित सड़कें व सुचारु यातायात प्रदान किया जा सकें।

10-12-2018/1515/NS/YK/1

अतः मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बन रहे फोरलेन के कार्यों को सरकार गंभीरता से लेगी और कार्यों की गुणवत्ता और निष्पादन में किसी तरह का समझौता सहन नहीं करेगी ताकि सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जा सकें तथा आम ज़नता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारा विषय शिमला में जब हमारी एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी तो मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके सामने रखा था और मैंने फोन पर सम्पर्क करके भी बात कही है कि इसको जल्दी ठीक करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा फोरलेन का जो रास्ता अवरूद्ध पड़ा है, यह जल्दी-से-जल्दी ठीक हो जाएगा।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी, आप अपना वक्तव्य दें।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे शीतकालीन सत्र का पहला दिवस है और हम इस पहले दिवस पर उम्मीद कर रहे थे कि हम इस सदन में पिछले सत्र के पश्चात अब काफी अंतराल के बाद मिल रहे हैं तथा एक सोहार्द्धपूर्ण वातावरण में सारे विषयों पर जो प्रदेश के हित में यहां पर उठाए जाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के साथ-साथ उनके समाधान के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष की तरफ से जो सुझाव आते हैं, उन सुझावों को भी ग्रहण करेंगे तथा इन पर जो कार्रवाई करनी आवश्यक होगी, उसको भी करेंगे। लेकिन मुझे इस बात का बहुत ही खेद और अफ़सोस है कि विपक्ष बिना किसी नोटिस के इस माननीय सदन में प्रश्नकाल आरंभ होने से पहले एक नहीं बहुत सारे मुद्दों को ले करके अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन की एक स्थापित परंपरा है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हमेशा होते हैं। जब भी आवश्यक लगता है कि किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी चाहिए और इस विषय पर हमें अपनी बात कहनी है तो नियमों के तहत

इसमें प्रावधान का वर्णन है और इन नियमों के तहत विपक्ष वाले नोटिस दे करके समय मांग सकते थे, अपनी बात कह सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ़ वर्तमान में विपक्ष के पास ऐसा कुछ नहीं है और महज़ शोर डाल करके एक सनसनी और इस प्रकार का माहौल खड़ा करने की कोशिश हुई है। मैं उन सारी बातों का जिक्र कर रहा हूं कि ये अपने भाषण में जो बात कहने की कोशिश कर रहे थे और शायद जो इस रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। लेकिन लिखित रूप में इन्होंने कुछ बिंदुओं को दिया है और मैंने उन सभी पर नज़र मारी है। इन्होंने जितने भी तमाम मनगढ़ंत और बेबुनियाद प्रश्न यहां पर खड़े करने की कोशिश की है, मैं उनको सिरे से खारिज़ करता हूं। मुझे इस बात का अफ़सोस है कि जब हमारा सदन चलता है तो प्रदेश की ज़नता इसे गंभीरता से लेती है। हम लोगों ने अपनी बात यहां पर किस प्रकार से रखी है, किस प्रकार से सरकार से समाधान करने के लिए बात कही, ये तमाम बातें प्रदेश की ज़नता बहुत बारीकी से देखती है। लेकिन जिस प्रकार गैर-जिम्मेदाराना तरीके से इस माननीय सदन में कुछ बातों का ज़िक्र करने की कोशिश हुई तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति इन्होंने (विपक्ष) अपने आप निर्मित की है। विपक्ष के साथी पूरे प्रदेश की ज़नता के सामने परिहास का विषय बन गए हैं, मज़ाक का विषय बन गए हैं। मुझे कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री धमकी दे रहे हैं, जो मेरे स्वभाव का हिस्सा ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और कर सकता हूं लेकिन धमकी नहीं दे सकता हूं। लेकिन इसके बावजूद कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं।

10.12.2018/1520/RKS/AG-1

पिछले कुछ अरसे से अखबार में खबर छप रही है कि हम चार्जशीट लाएंगे। हम कह रहे हैं कि आप चार्ज शीट लाइए। हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां शोर डालने की क्या आवश्यकता है? हिमाचल प्रदेश में 11 माह पूर्व सत्ता का परिवर्तन हुआ है और इस सत्ता के परिवर्तन के साथ पीढ़ी का परिवर्तन भी हुआ है। जब पीढ़ी का परिवर्तन हुआ है तो हमें कुछ चीजें हट कर करनी चाहिए। हमें हट कर सोचना चाहिए और हमारा व्यवहार हट कर दिखना चाहिए। मैंने जिस दिन मुख्य मंत्री के रूप में शपथ ली थी तो उस दिन मैंने एक बात कही थी और मैं उस बात पर आज भी कायम हूं। मैंने कहा था कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। 11 महीने बीत गए हैं और इन 11 महीनों में जो कांग्रेस का नेता सड़क पर चलना भी नहीं जानता वह भी चार्जशीट का जिक्र कर रहा है। वे एक वर्ष की चार्जशीट

बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन हमारे पास 5 वर्ष की चार्जशीट पड़ी हुई है। अगर11 महीनों में हमने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो इसका संदेश क्या है? इसका संदेश यह है कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। लेकिन क्या सामने वाले लोग भी इस बात को अपने व्यवहार में लाएंगे? अच्छा होता, यदि वे कहते कि यह पुरानी परंपरा है। जिन परंपराओं पर प्रदेश की जनता को कोई विश्वास नहीं है, वे परंपरा सदा के लिए समाप्त होनी चाहिए। पांच वर्षों के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की व्यवस्था होती है और जब चुनाव की व्यवस्था होती है तो उस समय आपके पास समय होता है। आप प्रदेश की जनता के सामने जाइए, जनता के सामने सारे विषयों को रखिए और जनता पर निर्णय करने की आजादी छोड़ दीजिए। हमने जो अपने व्यवहार के बारे में जो कहा था वह हमने करके दिखाया कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। काश! हमारे विपक्ष के मित्र भी इस तरह से अपने व्यवहार में इन बातों को ढालते। अगर मैं पीढ़ी के परिवर्तन का जिक्र कर रहा हूं तो यह वही चीज है, जहां से शुरूआत की जा सकती है। अगर हम बदले की भावना से काम करते तो मैं अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में यह आदेश कर देता की जो चार्ज शीट है उस पर मामले दर्ज किए जाएं लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा कि पुरानी परंपराएं बंद होनी चाहिए। मैं पिछले 20-21 वर्षों से विधान सभा का हिस्सा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि जब सरकार बदलती है तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में पुरानी सरकार के निर्णयों को रद्द किया जाता है। काफी मामले दर्ज किए जाते हैं और उन पर जांच करने के आदेश दिए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन के साथ पीढ़ी का परिवर्तन हुआ तो मेरी कैबिनेट का पहला निर्णय यह था जिसमें मानवीय दृष्टिकोण एवं श्रद्धा और आदर के भाव को अपनाया गया। हमने कहा हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। जो हमारे बुजुर्ग थे उनके प्रति हमने श्रद्धा का भाव व्यक्त करके मानवीय दृष्टिकोण दिखाया और 80 वर्ष से 70 वर्ष तक उनकी पैंशन के लिए आय सीमा में छूट देने का निर्णय लिया। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ चाहे आप पुराना इतिहास निकाल कर देख लें। राजनीति हो गई, चुनाव हो गया, परिणाम निकल गए और सरकार बन गई। जो उम्मीदवार जीत गए वे सदन के अंदर हैं और जो नहीं जीते वे सदन से बाहर हैं। लेकिन हमें सभी व्यवस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। मुझे इस बात को लेकर बहुत पीड़ा है कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था की आस्थाएं गिरती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन सारी बातो का जिक्र मेरे विपक्ष के साथी कर रहे हैं, अगर वे तथ्य हैं तो उन्हें सामने लाया जाए। हम सारी बातों

का अध्ययन करने के बाद, जहां जांच की आवश्यकता होगी, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप कहते जाएं और हम सुनते जाएं। आप कुछ भी करें और हम देखते जाएं, यह सम्भव नहीं हो सकता।

10.12.2018/1525/बी.एस./ए.जी./-1

जो ठीक बात है, वह ठीक है, जो गलत बात है, उसे गलत भी कहना पड़ेगा। इसलिए आज यहां पर जितने भी विषयों को ले करके कहा गया, उन सभी बातों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आज सदन की शुरूआत कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा गलत तरीके से की गई है। आज इस माननीय सदन में हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। आज प्रदेश की जनता भी इस बात को देख रही है। आज विपक्ष के व्यवहार में कोई गम्भीरता,सोच, और स्थिरता दिखाई नहीं दे रही है। विपक्ष के व्यवहार में जो जिम्मेवारी का आभास होना चाहिए वह दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। इन सारी चीजों को लेकर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आज इस माननीय सदन में विपक्ष द्वारा व्यवहार किया गया है वह सही नहीं किया गया है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं, भर्तस्ना करता हूं। हम सभी लोग राजनीतिक दल के लोग हैं, हम सभी अपनी विचारधारा से कार्य करते हैं। लेकिन राजनीति सभी जगह की जाए, यह उचित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय जिस पर विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बहुत ज्यादा बढ़ा-चढ़ा करके बात कही, उसको इतना ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। इस विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से वक्तव्य के रूप मैं इस माननीय सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। यहां कहा गया कि हिमाचल बेच दिया और यह भी कहा गया कि हिमाचल अनसेफ है। मुझे यह बात बड़ी विचित्र लगी। एक विषय पर उन्होंने बात कही कि स्वामी राम देव जी को हमने लीज पर जमीन दे दी। मैं इसकी वस्तुस्थिति से अवगत करवाना चाहता हूं। यह सारा वक्तव्य पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2009 में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट हरिद्वार में तत्कालीन सरकार को आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया था कि वह हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुर्लभ जड़ी-बूटियों के उत्पादन खेती को बढ़ावा देने व इसके जरिए स्थानीय लोगों, किसानों एवं बागवानों को रोजगार उपलब्ध करवा कर उनकी

आमदनी बढ़ाने हेतु कार्य करना चाहते हैं। जिसके लिए उन्हें भूमि उपलब्ध करवाई जाए। इस उद्देश्य हेतु सरकारी भूमि की रकबा तादादी 96.02 बीघा लगभग 93 बीघा मुहाल कहलोग तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन को हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 1993 के तहत मु0 17,31,214/- रुपये एक मुश्त पट्टा राशि व 1 रुपये प्रति माह प्रमाण पट्टा राशि प्रभारित करते हुए 99 वर्षों हेतु पट्टा पर प्रदान की गई थी। पट्टा 02.02.2010 को निष्पादित किया गया था। यहां पर यह बताना भी उचित होगा है कि वर्ष 2010 में भूमि का बाजारी मूल्य जमीनों की किस्म व उसके ऊपर लगे मामला के आधार पर औसत एक वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता था। यह उस वक्त के जमीन को लीज पर देने के नियम थे। पट्टे पर दी गई भूमि की किस**म** बंजर कदी**म** घासनी व गैर मुमकीन होने के कारण भूमि का बाजरी मूल्य कम था। मंत्री मंडल की बैठक दिनांक 19.02.2013 में लिए गए निर्णयानुसार उक्त भूमि का पट्टा निरस्त कर दिया गया। विरोध में पतंजलि योगपीठ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक सिविल जांच का संख्या 803/2013 पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बनाम हिमाचल प्रदेश व अन्य दायर करके चुनौती दी। इस पर स्टेटस को बनाए रखने बारे स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया। आचार्य बाल कृष्ण महा मंत्री पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ने दिनांक 13 जनवरी, 2017 को आदेवन कर सरकार से अनुरोध किया कि वर्ष 2010 में आवंटित सरकारी भूमि बारे पुनर विचार करके उसे पुनः बहाल किया जाए। सरकार द्वार मंत्री मंडल की दिनांक 17.02.2017 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। The request of Patanjali Yogpeeth may be considered and decision of cancellation of lease may be reviewed provided the Trust unconditionally withdraws the Civil Writ Petition in the High Court.

10/12/2018/1530/RG/DC/1

यानि कि जो मामला कोर्ट में चल रहा है अगर उसको यह पतंजलि योगपीठ वापस ले लेती है तो हम इसकी लीज़ पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं। उस समय राजा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। उक्त निर्णय के दृष्टिगत पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट द्वारा माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर सिविक याचिका संख्या 803/13

बिना शर्त वापस ले लिया गया। सरकार से पुनः अनुरोध किया गया कि पट्टा बहाल कर दिया जाए। इसके बाद सरकार ने इस मामले में पुनर्विचार करते हुए मंत्रि-मण्डल की बैठक दिनांक 30-3-2017 को यह निर्णय लिया कि, "the lease of land to Patanjali Yogpeeth Trust, Haridwar, Uttarakhand may be restored and a fresh lease deed may be signed on the basis of current market value of the land". उस समय कांग्रेस की सरकार थी और यह वर्ष 2017 का निर्णय है। सरकार के निर्णय को राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 20-4-2017 द्वारा उपायुक्त, सोलन को कार्यान्वयन हेतु प्रेषित कर दिया गया था। उपायुक्त, सोलन ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या पट्टा अभिलेख हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 के नियम 8(1) एवं (2) के प्रावधान के अनुसार किया जाना है? उपायुक्त, सोलन ने वार्षिक पट्टा राशि मु. 1,19,52 307/-रुपये पट्टाधारक से प्रभारित करने तथा विद्यमान पट्टा राशि में प्रत्येक पांच वर्ष उपरोक्त 5% बढ़ौत्तरी सहित नया पट्टानामा तदनुसार पंजीकृत करने का आदेश पारित करके उक्त संस्था को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित किया गया। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ने दिनांक 1 अक्तूबर, 2018 को सरकार को पत्र लिखकर, यह हमारी सरकार के दौरान पत्र लिखकर अनुरोध किया कि प्रस्तावित उद्देश्य हेतु निर्धारित पट्टा राशि बहुत अधिक है, इसे कम किया जाए। यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित है कि हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 के नियम 8(3) घ एवं हिमाचल प्रदेश पट्टा संशोधित नियम, 2016 के अन्तर्गत नियम 8 में अन्तःस्थापित, परन्तुक अनुसार प्रदेश में स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास हेतु लक्षित परियोजना हेतु सरकारी भूमि रियायती निबन्धों एवं शर्तों पर पट्टा देने बारे निम्न प्रावधान किया गया है और उसमें मैं यह जिक्र करना चाहता हूं कि (घ) के पट्टातंत्रित भूमि की चालू वृत दरों के 20% की दर से एक मुश्त राशि तथा उस अवधि जिसके लिए भूमि का पट्टा मंजूर किया गया है, के लिए एक रुपये प्रति मास नाममात्र पट्टा राशि प्रभारित की जाएगी। यानि वर्ष 2016 में इन्होंने लीज़ रूल्ज में अपने आप स्वयं परिवर्तन किया और उसमें इस बात का जिक्र किया कि जो शिक्षा से जुड़े हुए या खास तौर से हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए इस प्रकार के संस्थानों के लिए कम करके उस राशि में 20% की छूट देने का प्रावधान है। यह हमने नहीं किया, वर्ष 2016 में सत्ता में कौन था? वही लोग सत्ता में था।

अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़कर पतंजलि के उक्त प्रावधानों के तहत ही सरकार ने दिनांक 20-11-18 को संस्था से भूमि की कुल कीमत मु. 11,95,23,600/-रुपये की 20% के आधार

पर एक मुश्त पट्टा राशि मु. 2,39,4,720/-रुपये एवं एक रुपये प्रति माह प्रमाण पट्टा राशि प्रभारित किए जाने का निर्णय लिया। यानि कि हमने जो निर्णय लिया वह सिर्फ उसमें सिर्फ एक ही बात को लेकर है कि जो वर्ष 2016 के लीज़ रूल्ज में जो परिवर्तन किया था कि ऐसी संस्थानों के लिए हम 20% लैस कर सकते हैं। उसके अनुरूप ही हमने यह निर्णय लिया और उसके अनुसार एक रुपये प्रतिमाह पट्टा राशि प्रभारित किए जाने का निर्णय लिया।

10/12/2018/1535/MS/HK/1

अतः ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2010 में जमा करवाई गई मु017,31,214/-रुपये की पट्टा राशि को एकमुश्त देय 2,39,4,720/-रुपये से समायोजित करते हुए अब पट्टा राशि 2, 21,73,506/-रुपये पतंजलि ट्रस्ट द्वारा जमा करवानी अपेक्षित है। इसमें कतई भी एक भी रुपये की रियायत उस संस्था को नहीं दी गई। जो हमारे लीज के नियम हैं उनका पालन करते हुए, सिर्फ एक ही चीज को लेकर क्योंकि वह संस्था हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य और योग के क्षेत्र में काम करना चाहती है उसी के प्रावधान के अंतर्गत उसको लिया गया है। उसके बावजूद भी उनको एकमुश्त 2, 21,73,506/-रुपये जमा करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के उपरोक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए उपायुक्त सोलन को दिनांक 3 दिसम्बर, 2018 को पत्र लिखा गया है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक पट्टा अभिलेख निष्पादित नहीं हुआ है। छः महीने की अवधि के भीतर यह कभी भी निष्पादित किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस भी बात को लेकर यहां पर शोर डालने की कोशिश की जा रही है जबकि नियमों में परिवर्तन इन्होंने किया। उसी परिधि में हमने जो निर्णय लिया है उसमें कहीं भी नियमों की अवहेलना नहीं हुई है। दूसरे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पतंजलि योगपीठ को उस प्रकार से देखने की आवश्यकता नहीं है जिस प्रकार से हमारे मित्र उसको देखते हैं। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार द्वारा साधुपुल में बनाए जाने वाले "पतंजलि योग केन्द्र" के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए एक नया अध्याय खुलेगा। योगपीठ के द्वारा जो कार्य साधुपुल में संपादित किए जाने हैं वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। योगपीठ साधुपुल में एक षटकर्म चिकित्सा संस्थान शुरू करेगा और यह योगपीठ क्या-क्या करने वाला है उसके बारे में भी मैं विस्तृत

रूप से जिक्र करूंगा। इसमें षटकर्म पद्धति के द्वारा पंचकर्मा चिकित्सा पद्धति से रोगों का इलाज होगा और कठिन रोगों के निदान के लिए यह संस्थान बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इतना ही नहीं हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थानों में कार्य करने वाले पैरा-मैडिक्स को यहां से ट्रेनिंग भी प्राप्त हो सकेगी। माननीय अध्यक्ष जी, यह और भी आगे बढ़कर उस संस्थान के माध्यम से एक योगदान हिमाचल प्रदेश के लिए रहने वाला है। साधुपुल में शुरू होने वाले योगपीठ में जड़ी-बूटी उत्पादन का प्रशिक्षण देने का सम्पूर्ण प्रावधान किया जाएगा जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के किसान के लिए एक ऑल्टरनेटिव क्रॉप लगाने की दिशा में नया कार्य शुरू हो सकेगा। जलवायु परिवर्तन व वर्षा चक्र के बदलने के कारण लम्बे समय से कृषि चक्र में परिवर्तन हो रहा है जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। साथ ही जंगली जानवरों द्वारा भी कृषि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जब हम किसान के खेत में जड़ी-बूटी पैदा करेंगे तो वह मौसम के प्रभाव और जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचेगा। अलग-अलग एल्टीट्यूड पर पैदा होने वाली जड़ी-बूटियां अलग-अलग स्थानों पर तैयार की जा सकेंगी। साथ ही उत्पादन की हुई जड़ी-बूटियों का क्रय केन्द्र भी साधुपुल में स्थापित करने का प्रावधान किया जाने वाला है अर्थात किसान जो फसल पैदा करेगा उसके उचित दाम अपने ही इस प्रदेश में किसान को मिल सकेंगे। जैसेकि हम सबको विदित है कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में लाखों लोग प्रतिमाह इलाज व योग का प्रशिक्षण लेने के लिए तथा अपने उत्पादों को बचेने/खरीदने के लिए जाते हैं जिससे हरिद्वार में आवागमन कई गुणा बढ़ा है। इस प्रकार जब साधुपुल योग केन्द्र के रूप में पूर्णरुपेण विकसित हो जाएगा तो हम यह आशा करते हैं कि हजारों पर्यटक योग की शिक्षा ग्रहण करने के लिए साधुपुल आएंगे व साथ ही हमारे पर्यटक स्थलों जैसे शिमला, चायल, कुफरी, किन्नौर और लाहौल-स्पिति इत्यादि का भ्रमण करने के लिए भी प्रेरित होंगे।

10.12.2018/1540/जेके/एचके/1

जो डायरैक्ट रोजगार से जुड़ें हुए साधन बनेंगे। योगपीठ द्वारा करोड़ों रुपया पहले ही साधुपुल में खर्च किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब पहली लीज़ इस योगपीठ को दी गई थी तो उन्होंने वहां पर युद्धस्तर पर काम शुरु कर

दिया था। लगभग 15 करोड़ रुपए से ज्यादा उन्होंने उस जमीन के ऊपर खर्च कर दिया था। लेकिन यह सिर्फ राजनीतिक मकसद से इस काम को रोकने की दृष्टि से किया गया। लीज़ रद्द कर दी गई। वहां पर मामले दर्ज़ किए गए और फिर वहां पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। जिसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अगर यह संस्थान वहां पर बन कर तैयार हो गया होता तो हजारों लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से अपनी भूमिका निभा रहा होता और हिमाचल प्रदेश के लिए आय के साथ-साथ पर्यटन की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण संस्थान बन करके तैयार होता। उस दृष्टि से हमारा यह मानना है कि इस ट्रस्ट को, इस पतंजली योगपीठ के कार्य को बाधित करके प्रदेश का नुकसान हुआ है। इससे प्रदेश के लोगों का नुकसान हुआ है मुझे लगता है कि जो भी निर्णय हमने लिया है, उसको वे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें प्रदेश का भला है। इसी के साथ-साथ माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि स्वामी रामदेव जी आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में, योग क्या चीज है इस बात को समझाने में सफल हुए हैं लेकिन कई बार हम अपने विपक्ष के मित्रों से हैरान होते हैं। हमने तो स्वामी रामदेव जी को जमीन दी और आपने तो बापू आसा राम को जमीन दे रखी है। मैं यह भी आपके बीच में ही कहना चाहता हूं कि श्री जय कृष्ण, पुत्र श्री फगु राम व राजेन्द्र सिंह, पुत्र श्री आसा राम ने मुस्तरका खाता नम्बर 331/384 में से अपना हिस्सा रक्बा तादादी 14 बीघा 6 बिस्वा मौजा पूजा, तहसील पांवटा जो कि सुख राम चौधरी जी के वहां दी गई है। पांवटा साहिब जिला सिरमौर दिनांक 19.09.2003 में वह जमीन दी गई है। आजकल उनको पूछा जाए कि बापू आसा राम जी कहां पर हैं? मैं इसमें थोड़ा सा यह भी कहना चाहता हूं कि वह प्राइवेट आदमी की जमीन थी और वह जमीन उन्होंने बेची लेकिन अनुमति तो सरकार ने दी है। उसमें यह भी बड़ी दिलचस्प बात है कि उसका टाइटल क्लीयर नहीं था। उस जमीन को बेचा नहीं जा सकता था। लेकिन सरकार ने उसको बेचने की अनुमति आसा राम जी को दे दी। आप बापू आसा राम जी को जमीन दे सकते हैं लेकिन रामदेव जी को जमीन नहीं दे सकते हैं। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इस

चीज को मैं यहां पर छोड़ देता हूं। लेकिन मुझे अपने मित्रों पर बड़ी हंसी आ रही है कि जिस विषय की गम्भीरता इनको समझनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और हाउस के अन्दर जो हम बोल रहे हैं उसको सारी दुनिया देख रही है, इन सारी बातों

को माननीय अध्यक्ष महोदय इनको समझना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी मैं इतना ही कहना चाहता हूं और जहां तक हेलिकॉप्टर की बात की गई है, हम इनका ही लीज़ पर लिया हुआ हेलिकॉप्टर यूज़ करते हैं। हमने नया कोई हेलिकॉप्टर नहीं लिया है। हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी सरकार बनी तो हमने इसके रेट और कम किए। हमने उनको कहा कि यह जो लीज़ पर हेलिकॉप्टर लिया गया है यह पांच साल पुराना हो गया है। अब हमारी नई सरकार है और हम नया हेलिकॉप्टर लेंगे यदि आप इसके रेट कम करेंगे। हमने उसके रेट कम करवाए। रेट कम करवाने के बाद क्या हम उसको धूप जला करके पूजा करते रहें, इसका इस्तेमाल न करें और इसको धूप में सेकने के लिए ही रखना है? माननीय अध्यक्ष महोदय हेलिकॉप्टर्ज़ सभी प्रदेशों में हैं। हमसे भी छोटे-छोटे प्रदेश हैं जिनके पास अपने हेलिकॉप्टर्ज़ हैं। हमारे बराबर जितने प्रदेश हैं उनके पास एक नहीं बल्कि दो-दो हेलिकॉप्टर्ज़ हैं। जहां तक इन्होंने कहा कि हेलिकॉप्टर लीज़ पर ले रहे हैं, हमने लीज़ पर कोई हेलिकॉप्टर नहीं लिया है। हमारे पास जो पवन हंस का हेलिकॉप्टर है, जब वह सर्विस के कारण या किसी टैक्निकल फॉल्ट के कारण बाउंड हो जाता है तो उनके साथ हमारा एग्रीमैंट है उनको हमें हेलिकॉप्टर प्रोवाइड करवाना पड़ता है। इसलिए उनको लगता है कि जय राम ठाकुर के पास आज कोई और हेलिकॉप्टर आ गया है और कल कोई दूसरा हेलिकॉप्टर था लेकिन वह उनका प्रावधान है। वह प्रावधान उनको करना पड़ता है।

10.12.2018/1545/SS-HK/1

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हैलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ है तो वह प्रदेश में प्रदेश हित के लिए हुआ है। अक्सर लोगों के बीच में जाना-आना, मुख्य मंत्री के लिए पहाड़ी प्रदेश में यह कभी भी सम्भव नहीं है कि वह सारा रास्ता सड़क मार्ग से तय करेगा। इसलिए हम लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा समय दे सकें और हमारा समय कम-से-कम जाया हो, उस दृष्टि से हम हैलीकॉप्टर का इस्तेमाल निश्चित रूप से करते हैं। उसके साथ-साथ अभी कह रहे थे कि हैलीकॉप्टर रेल के ट्रैक पर ले गए। मैं इनका भाषण सुन रहा था कि एयरपोर्ट का सर्वेक्षण करने के लिए हैलीकॉप्टर ले गए। हां ले गए, उसमें क्या बुरा है? केन्द्र के मंत्री आते हैं और वे हमारे

हिमाचल प्रदेश के लिए सैंकड़ों करोड़ों रुपये देने की मंशा जाहिर करते हैं कि हम यह सुधारना चाहते हैं। वे कालका से सोलन-शिमला वाया ट्रेन आए। शिमला में उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस ट्रेन को सुधारना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है व जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्दी उसमें कुछ सुधार की दृष्टि से कुछ कदम उठाने के लिए आदेश हो गए हैं। जब उन्होंने ज़िक्र किया तो मैंने श्री पीयूष गोयल जी से एक बात का निवेदन किया, वे हमारे बचपन से मित्र हैं, मैंने उनसे कहा कि एक रेलवे ट्रैक हमारे पास और भी है जोकि जोगिन्द्रनगर से पठानकोट जाता है। उसमें और भी आसानी से सुधार किया जा सकता है क्योंकि शिमला वाले में थोड़ी चढ़ाई, कर्वज़ और टनल्ज़ भी ज्यादा हैं लेकिन वहां पर हम जल्दी से सुधार कर सकते हैं क्योंकि उसमें कर्वज़ और टनल्ज़ कम हैं। इसलिए उसमें भी सुधार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा-सा उसको देखना चाहूंगा। तो मैंने कहा कि आप देखने की बात क्या करते हैं, आप मुझे एक घंटा दीजिए। हमने जोगिन्द्रनगर से कांगड़ा तक का रेलवे ट्रैक हैलीकॉप्टर से फोलो किया। उन्होंने एक-एक चीज़ को देखा। धर्मशाला में उन्होंने जो डी0आर0एम0 और दूसरे अधिकारियों को बुलाया था उनको तुरन्त आदेश दिए। आदेश देने के बाद कहा कि जो इसमें नौ घंटे का सफ़र लगता है मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हम एक साल के अंदर ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि यह सफ़र सिर्फ पांच या छः घंटे का रहे। उसमें हमने क्या गलत किया? उसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम हिमाचल प्रदेश में एक पूरा एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। इसकी आवश्यकता है। हमसे छोटे प्रदेशों ने बड़े-बड़े जहाज़ अपनी जमीन पर उतार दिए। हमने अपनी बातों को लेकर यह तय कर दिया कि हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं । अगर इस प्रकार से विरोध के स्वर रहेंगे तो आप हिमाचल में प्रगति नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। मुझे यही बात फिर कहनी पड़ती है कि जब पीढ़ी का परिवर्तन है तो पीढ़ी के परिवर्तन के साथ कम-से-कम अपनी सोच को भी परिवर्तित करने की आवश्यकता है। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे पास एयरपोर्टस हैं उनमें हमको लोड पैनल्टी के साथ सफ़र करना पड़ता है। किराया हमको हिमाचल प्रदेश से दिल्ली जाने के लिए कितना देना पड़ता है यह मुझे

समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारी स्ट्रिप छोटी है। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी स्ट्रिप बननी चाहिए। उसके लिए हमने सर्वे का काम शुरू किया है। सर्वे का काम शुरू करने के साथ-साथ केन्द्र की जो एक रिक्वायरमैंट थी, जो ओ0एल0एस0 सर्वे होता है, उस सर्वे की दृष्टि से दिल्ली से मंडी में एक टीम आई हुई थी। हमने केन्द्र सरकार के समक्ष उस सर्वे के लिए पैसा जमा करा दिया है। दिल्ली से जो टेक्निकल लोग आए थे उन्होंने कहा कि हम उस सारे एरिया का सिर्फ पांच मिनट का विज़िट करना चाह रहे हैं। उस दिन मैं एक कार्यक्रम में मंडी में था। पांच मिनट का हमारे साथ, जहां पर वह एयरस्ट्रिप बननी है, उसका हवाई सर्वेक्षण करवाया तो उससे प्रदेश का कितना नुकसान हो गया? आखिर मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि यह सोच को क्या हो गया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, सोच को बदलने की आवश्यकता है और हम अपने मित्रों को कह रहे हैं कि जब पीढ़ी ने परिवर्तन पूरे प्रदेश में स्वीकार किया, लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे अगर हम सोच में परिवर्तन नहीं करेंगे। सोच में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, यह मेरा उनसे आग्रह है। आज जो गैर-जिम्मेदराना व्यवहार इस माननीय सदन में विपक्ष का रहा, उससे सचमुच में मुझे पीड़ा हुई है। मैं समझता हूं कि वह करने योग्य काम नहीं था जो उन्होंने आज सदन में किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्षः अब नियम-130 के अंतर्गत माननीय राकेश पठानिया जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इस विषय में माननीय रमेश चंद ध्वाला जी और राकेश पठानिया जी दोनों के नोटिस आए थे और

10.12.2018/1550/केएस/वाईके/1

दोनों की भाषा लगभग मिलती हुई थी और दोनों इसमें अपनी बात कह सकेंगें। श्री राकेश पठानिया जी।

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के तहत "प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों के कारण भू-गर्भ एवं सिंचाई योजनाओं में घटते जलस्तर से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे पास इसमें 7 नाम चर्चा के लिए आए हैं । दो इसमें मूवर हैं और दोनों प्रस्तावक 10-10 मिनट में अपनी बात रखेंगें और जो बाकी सदस्य हैं, वे पांच मिनट में अपनी बात रखें तो नियम 130 के अंतर्गत इस विषय पर माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं और इससे अधिक समय देना सम्भव नहीं होगा। श्री राकेश पठानिया जी।

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत जो मुद्दा आज हम सदन में ले कर आए हैं, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। क्लाइमेट चेंजिज़ के साथ सम्बन्ध रखने वाला यह विषय है और इसके जो बुरे प्रभाव जैसे ग्लोबल वार्मिंग है। Hon'ble Speaker Sir, climate change is a statistical distribution of weather pattern and that change lasts for extended period of time. यह जो विषय हम ले कर आए हैं, यह बहुत ही गम्भीर विषय है और हिमाचल प्रदेश में जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। क्लाइमेट चेंज के साथ जो यह वैदर पैटर्न में चेंज आ रहा है, आपको और हमें याद है कि हमने चार-चार महीने की वारिश हिमाचल में देखी है। तीन से चार महीने तक लम्बी बारिशें होती थी। हम देखते थे झड़ियां लगती थी और तीन-चार दिन तक मीठी-मीठी बारिश लगी रहती थी। Quantum of downfall of rainfall is still there. क्वांटम अभी भी सेम है परन्तु वह चार महीने से कम हो कर आज केवल 15 या 20 दिन में आ गया है। जो विषय राकेश जम्वाल जी यहां पर नियम 62 के तहत ले कर आए हैं या आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े भावुक तरीके से जो अपनी बात यहां पर रखी, इन सभी विषयों के अंदर इस चर्चा का एक

योगदान है। अब वही बारिश, वही quantum of rainfall, कहां एक बाल्टी से एक-एक घड़ा या मग्गा गिरना था, कहां वह पूरी की पूरी बाल्टी इकट्ठी फेंक दी गई। लगातार इतनी जल्दी बारिश आई कि जो हमारा गुड स्वॉयल गया, जो हमारी छोटी-छोटी खड्डे होती थीं, आज वे दरिया बन कर खड़ी हो गई। कितनी भूमि का कटाव इसकी वजह से हुआ है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इसकी गम्भीरता को समझे और यह मामला केवल नियम-130 तक ही सीमित न रह जाए । हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत गम्भीरता से इस विषय की तरफ देख रही है। This is very serious issue और यह मुद्दा विभिन्न विभागों के साथ जुड़ा हुआ है, हिमाचल प्रदेश के जमींदारों और हिमाचल प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। आज क्लाइमेट चेंजिज़ आ रही है। डॉ0 राम लाल मारकण्डा जी बैठे हैं, जब लाहौल में बर्फ नहीं पड़नी थी, तब बर्फ पड़ गई और जब फसल के लिए वह बर्फ वरदान साबित होनी थी, वह नुकसान साबित हो रही है। वहां से जब आलू निकलना था, वह नहीं निकला क्योंकि तब वहां पर बर्फ पड़ गई । जब बर्फ चाहिए थी, तब बर्फ पड़ी नहीं। क्लाइमेट चेंजिज़ के प्रदेश के अंदर जो-जो प्रभाव हमें देखने में आ रहे हैं, वह चाहे हमारा ट्राईब्ल एरिया हो या हमारा कांगड़ा या शिमला का क्षेत्र हो, वह चाहे होर्टिकल्चर से रिलेटिड हो, टूरिज्म, इंडस्ट्री या पी.डब्ल्यू.डी. विभाग से रीलेटिड हो, उसको आप किसी भी विभाग से को-रीलेट करके देख लें, हमें उसमें बहुत नुक्सान हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने विभागों की बात की, लोक निर्माण विभाग के अंदर इस साल हमने देखा, आदरणीय मुख्य मंत्री जी अभी माननीय सदन में नहीं है, उन्होंने खुद अपने वक्तव्य में बताया था कि शिमला के अंदर 100 साल के बाद इतनी बारिश हुई। जब 100 साल के बाद इतनी बारिश हुई then where has that water gone? वह पानी कहां गया? वह पानी हमारी सड़क ले गया, वह पानी हमारे डंगे ले गया,

10.12.2018/1555/av/yk/1

खड्डों को चौड़ा कर गया, मिट्टी बहा कर ले गया जिससे स्वॉयल इरोज़न की प्रोब्लम आ रही है। वह पानी सड़कों को बहा कर ले गया यानी वह पानी हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क कर गया जो लगातार 15-20 दिन तक बरसता रहा। मैं और माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी यह विषय 130 के माध्यम से यहां पर लेकर आए हैं। हम मंत्री जी से यह जानना चाहेंगे कि क्या आप हिमाचल प्रदेश में इस संदर्भ में पॉलिसी मैटर चेंज करने बारे विचार रखते हैं? क्या आप हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी पॉलिसी लायेंगे जिसके तहत ये डंगे ऊंचे लगे। आप सोलन-शिमला सड़क की हालत देख लीजिए। उस फोरलेन का कार्य आज से तीन साल पहले पूर्ण हो जाना था। उसमें आप देखिए कितना the quantum of muck that has come down on the roads. This road would have been completed two years back. क्योंकि वे डंगे छोटे थे और अब उन डंगों को बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। तो क्या आप इस पॉलिसी मैटर में कोई चेंज लाना चाहेंगे? मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में जो यह डिस्ट्रिब्यूशन का पैटर्न बदला इसके तहत क्या हम एक ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे कि प्रदेश के अंदर जो पानी आ रहा है उसका ठीक से दोहन कर सकें। इस पानी को हम चैक कर सकें, इस पानी को हम स्टोरेज के लिए रोक सकें। इस पानी के माध्यम से हम अपनी पाऊंडिंग को सौ से तीन सौ मीटर तक बढ़ा सकें। इस पानी को रोक कर हम फिल्ट्रेशन गैलरीज बना सकें। इस पानी को रोक कर हम पर्कुलेशन वैल बना सकें। इस पानी से सिंचाई के साथ-साथ पीने-के-पानी की व्यवस्था कर सकें। क्या आप हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का ब्लू प्रिंट लाना चाहेंगे? हमें इसके कारण जो नुकसान हो रहा है, आप देखिए हमारा ग्राउंड वाटर लैवल कहां जा रहा है? अपने खेत में जहां आज से 20-30 साल पहले कभी खूह लगाने का प्रयास किया जाता था तो उसका चाक बैठाने के लिए हम वहां पर पांच-पांच ईंजन लगाते थे और वह पानी टूटता नहीं था। पहले जो पानी 12-14 फुट पर था वह आज दो सौ-सवा दो सौ फुट पर चला गया। अगर ग्राउंड वाटर लैवल इस तरह से गिरता रहा तो आने वाले दिन ठीक नहीं है। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में जो इलिगल व अनसांईटिफिक माइनिंग हुई, मैं इस विषय पर दोबारा आना चाहूंगा। मैं माइनिंग के खिलाफ नहीं हूं। मैं अनसांईटिफिक माइनिंग के खिलाफ हूं और इस अनसांईटिफिक माइनिंग से खड्डों का जो बेड़ा गर्क हो रहा है उससे 10 फुट की खड्ड 50 फुट और 50 फुट की 60 फुट की हो गई है। जब फ्लैश फ्ल्ड आता है तो उस 50 फुट की खड्ड को सौ फुट की खड्ड बना देता है। वहां पर किसी जमाने में हमारे खेत जो फसल पैदा

करते थे, जिन खेतों में हमने हरी-भरी गेहूं व धान देखे हैं आज वे खेत खड्डों में बहकर समाप्त हो गये हैं। इस तरह से हम हजारों हैक्टैयर भूमि we are loosing subsequently every year. और हर साल जल बहाव के कारण जो हमारी भूमि जा रही है क्या हम इस भूमि को फिर से पैदा कर पायेंगे? हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, कल्टिवेशन बढ़ रही है लेकिन क्या हमारे पास इस भूमि को बढ़ाने का कोई प्रावधान है? क्या आप इस पॉलिसी में ऐसा कोई चेंज लायेंगे जिसके माध्यम से हमारे किसान-बागवान बचेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के पास होर्टिकल्चर डिपार्टमैंट भी है। आप इसके साथ होर्टिकल्चर को कम्पेयर करके देखिए। आज भी हमारे 82 प्रतिशत किसान-बागवान वर्षा पर निर्भर है। हमारे पास जो नोलेज बैंक है, मैं उसमें रिकॉर्ड चैक कर रहा था Rs. 38 thousand crores has been spent in last 30 years for the irrigation purpose और 38000 करोड़ रुपये की राशि कहां गई? उस 38000 करोड़ रुपये से इस प्रदेश के अंदर सिंचाई की कितनी व्यवस्था की गई है? उस 38000 करोड़ रुपये की राशि से कितने चैक डैम बनें? उस 38000 करोड़ रुपये से आपने कितने मीटर की पाऊंडिंग पैदा की है? उस 38000 करोड़ रुपये के माध्यम से आपने प्रदेश में कितने किसानों की भूमि को पानी लगाया, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं? 38000 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने के बाद आज भी इस प्रदेश में 82 प्रतिशत किसान वर्षा पर निर्भर है तो आने वाले दिनों में मेरे प्रदेश के किसान-बागवान का क्या बनेगा? इस बारे में मैं और माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी आपके समक्ष एक गम्भीर विषय लेकर आए हैं। मैं चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की विधान सभा इस विषय पर गम्भीरता से चर्चा करे और मंत्री जी भी इस पर गम्भीरता से जवाब दें।

10-12-2018/1600/TCV/AG/1

यह केवल नियम-130 के तहत न रह जाए। यह माननीय मंत्री जी का हिमाचल प्रदेश के जमींदार, बागवानों और किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न बोलता हुआ अपने क्षेत्र की बात करुंगा। जहां तक जिला कांगड़ा, नुरपूर और मेरे सब-डिविजन की बात है, हमारे क्षेत्र में खड्डों की भरमार है

लेकिन हर साल उनका स्वरूप बदल रहा है और ये खड्डे दरया रूप लेती जा रही है। हमारा पूरा सब-डिविजन इसमें ध्वस्त होकर रह गया है। अगर हम इनको सही तरीके से चेनेलाइज नहीं कर पाएंगे ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः माननीय सदस्य वाइंडअप कीजिए।

श्री राकेश पठानियाः माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट में वाइंडअप कर रहा हूं। यदि हम इन खड्डों को वैज्ञानिक तरीके से रोक कर वैज्ञानिक तरीके से माइनिंग का प्रावधान करें तो हम इससे भी ज्यादा 100 गुणा राजस्व प्रदेश के अंदर कमा सकते हैं। लेकिन इन खड्डों का दोहन ठीक प्रकार से न होने के कारण हमें नुकसान उठाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही बताना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही गंभीर विषय हैं। It is a very-very serious issue, which correlates with my farmer; which correlates with my agriculturist; and it correlates with the future of Himachal Pradesh. मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसका विस्तार से उत्तर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब श्री रमेश चंद ध्वाला जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया 10 मिनट में अपनी बात रखें।

श्री रमेश चंद ध्वालाः माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं हूं कि आपने इस बर्निंग इश्यू को चर्चा हेतु रखने की स्वीकृति प्रदान की। इससे पहले माननीय विधायक श्री राकेश पठानिया जी इस विषय पर बोल रहे थे। मैं भी नियम-130 के अन्तर्गत इस ज्वलंत विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कहते हैं कि 'जल है तो कल है, जल ही जीवन है।' इसके बारे में यदि हमने गंभीरता से विचार नहीं किया तो आने वाला समय हमारे लिए घातक होगा। हिन्दूस्तान में हर साल 1898 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बारिश से बरसता है। लेकिन हम केवल 690 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का ही उपयोग करते हैं और 1179 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बहकर चला जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हम ठीक तरीके से पानी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम ठीक तरीके से पानी को रिचार्ज करने के लिए नालों में चैकडैम या वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो आने वाला भविष्य हमारे लिए घातक होगा। पानी की बोतल की जो संस्कृति चली है, इससे 2013 में 7 अरब और 2018 में 160

अरब का व्यापार हुआ है। ये ठीक है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से 4751.24 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए हैं

10-12-2018/1605/NS/AG/1

ताकि वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए स्ट्रक्चर बनाए जाएं और हमें गर्मियों के दिनों में भी पानी मिल सके। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहीं पर तो भू-मंडल इतना गर्म हो रहा है कि वहां पर तापमान ही 50 डिग्री तक चला जा रहा है। इसके अलावा अगर कहीं पर वर्षा हो रही है तो एक जगह इक्ट्ठी वर्षा हो करके लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। कहीं-कहीं तो लोगों की सम्पत्ति भी पानी के साथ बह रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा। यह बात सही है कि हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या को बढ़ते हुए देख करके मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे जो वॉटर सोर्सिज़ या स्कीमें हैं, ये लोंग टर्म बनानी चाहिए। ये स्कीमें शोर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए। पहले जो शोर्ट टर्म स्कीमें बनाई थी, उनके केचमैंट एरिया ड्राई हो चुके हैं। अगर इसमें चैकडैम लगें तो पानी रिचार्ज़ हो करके परंपरागत रिसोर्सिज़ भी पुनर्जीवित हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कई स्थानों पर हुआ है और कई स्थानों पर नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कई स्कीमें ड्राई होने जा रही हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि मण्डी के बल्ह वैली में रेत इतना नुकसान कर रहा है और पर्यावरण को दूषित कर रहा है। जिसके कारण वहां पर लोगों को कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। वहां पर रेत या सिल्ट खेतों में आ जाती है और खेत पैदावार के काबिल नहीं रहे हैं। इस सिल्ट को रोकने के लिए विभाग को ठोस नीति बनानी चाहिए ताकि लोगों का नुकसान न हो। इसके कारण हमारी कई स्कीमों की रिचार्जिंग नहीं हो रही है क्योंकि वहां पर सिल्ट बैठ जाती है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि जिन्होंने ट्रैक्टर्ज़ रखे हैं वे कोई भी डैम की डिसिल्टिंग नहीं करते हैं। वहां पर सिल्ट आ जाती है और उसके कारण जैसे हमारे पौंग बांध की गारंटी 100 साल की है, अगर वहां पर रेत, बज़री आदि उठाने पर प्रतिबंध लगता रहा तो यह डैम भी 50-60 सालों में भर जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों को इससे रोज़गार भी मिल सकता है। वहां पर अगर रेत, बजरी और पत्थर उठाए जाएं तो डैम सिल्ट से नहीं भरेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मण्डी की बल्ह वैली में जो

नुकसान हो रहा है, उस पर विभाग गंभीरता से विचार करके एक ऐसी योजना बनाए ताकि सिल्ट से नुकसान न हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे, हमारे प्रदेश में जो नाले हैं, उनमें चैकडैम लगा करके वहां पर स्कावर पाइप डालनी चाहिए ताकि बरसात में जितना मल्बा आए, वह बाहर निकल जाए और बाद में इसको बंद करके लोगों के खेतों तक पानी जा सकता है और हमारे सोर्स भी रिचार्ज़ हो सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि विभाग योजनाबद्ध ढंग से काम करे। अब हमारी खड्डें भी सूख रही हैं और हमारे परंपरागत सोर्स भी सूख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। कोई ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि गर्मियों के दिनों में शिमला में पानी नहीं आएगा। अब मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक बड़ी योजना बनाई है और सतलुज नदी से पानी ला रहे हैं, वरना यहां तो हाहाकार मच गई थी। अब प्रदेश में आबादी बढ़ रही है और आबादी बढ़ने के कारण उद्योग भी विकसित हो रहे हैं। कई जगहों पर फैक्टरियां/उद्योग लग रहे हैं और पानी का प्रयोग ज्यादा हो रहा है।

10.12.2018/1610/RKS/DC-1

लेकिन इसके बारे में हमें गंभीरता से प्रयास करना होगा। खड्ड के कैचमैंट एरिया में चैक डैम बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सकता है। जो नीचे परकोलेशन वैल है या कोई स्प्रिंग सोर्स हैं, उसको ड्रिप इरिगेशन से लोगों के खेतों तक पहुंचाया जाए। बहाव स्कीम से ज्यादा पानी यूज होता है जबकि ड्रिप इरिगेशन से कम पानी की खपत होती है। इसलिए ऐसी स्कीमें बनाई जाए ताकि लोगों के सूखे खेतों तक पानी पहुंच सके और उन्हें पीने के लिए भी माकूल पानी मिल सके। मेरे निर्वाचन क्षेत्र ज्वालामुखी में लगभग 400 कुएं ड्राई हो चुके हैं और इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा वाटल लैवल डाउन होता जा रहा है। जब तक हम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे , बारिश के पानी को इकट्ठा नहीं करेंगे तो इससे यह समस्या और बढ़ती जाएगी। जो हमारे पुराने तालाब थे उन तालाबों पर लोगों ने दुकानें बना दी हैं, मकान बना दिए हैं। जो हमारी ट्रैडिशनल बावड़ियां या तालाब बने थे उनको आज कोई नहीं पूछ रहा है। हम पुरानी बावड़ियों या तालाब को

रिवाइव कर सकते हैं और इसके लिए मनरेगा में भी प्रावधान है। यह बात ठीक है कि ज्यादा बरसात के कारण हमारी सड़कों और पेयजल स्कीमों को काफी नुकसान हुआ है। बरसात के कारण जिन घरों के डंगे गिरे हुए हैं उनके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 35 हजार रुपये हर घर के डंगे के लिए दिए हैं। हम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएं और स्ट्रक्चर बनाकर पानी को प्रीजर्व करें ताकि जिस तरीके से हम अपनी टंकी में पानी डालते हैं और थोड़ा-थोड़ा करके उसका प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जगह-जगह चैक डैम बनाएंगे, तालाब बनाएंगे तो जो परकोलेशन वैल ड्राई होते जा रहे हैं वे रीवाइव हो सकते हैं। इसलिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्ज बनाने को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। विभाग स्वयं यह चैक करे कि हमारी वाटर सप्लाई स्कीम कहां ड्राई हुई है। खड्डों के सारे-के-सारे स्प्रिंग सोर्स सूख चुके हैं। ग्रैविटी से जो पानी आता था वह भी सूख चुका है। हमारी जनसंख्या लगभग 130 करोड़ के करीब हो चुकी है इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि अगर जल है तो कल है और जल नहीं होगा तो कल क्या करेंगे?

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया वाइंड-अप कीजिए।

श्री रमेश चंद ध्वालाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से दो-तीन मिनट में अपने सुझाव समाप्त करूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो छोटे या बड़े डैम बने हुए हैं उनके नीचे अगर आप ट्यूबवैल लगाएंगे तो उन ट्यूब वैल्स से लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध होगा। वे ट्यूबवैल अच्छी तरह से सरवाइव होंगे और उसे लोगों को 100 प्रतिशत पानी मिलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसी साइट्स आइडैंटिफाई की जाए। जहां-जहां डैम बने हुए हैं उन डैमों के नीचे ट्यूब वैल लगाए जाएं। इससे लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध होगा।

10.12.2018/1615/बी.एस./डी.सी./-1

विभाग योजनाबद्ध तरीके से अगर इस पानी को प्रीजर्व करके उन स्थानों पर हैंड पंप व टयूबैल लगा करके इस कार्य को करें। इस समय 5 हजार के करीब हैंड पंप लगाए जा चुके हैं। पानी तो जमीन से निकलेगा। अगर वहां पर कोई डैम की व्यवस्था होगी तो उससे हैंड पंप में ज्यादा मात्रा में पानी मिलेगा। अगर वहां पर पानी नहीं होगा और वहां पर डैम नहीं बनाया तो उस स्थान पर हैंड पंप सूख जाएंगे। इसलिए जितने हैंड पंप लगे हैं इस विषय के ऊपर भी सरकार को एक संज्ञान लेना चाहिए। यदि इतनी तादाद में हैंड पंप लगाए जाएंगे तो हमारी पानी की स्कीमें चली हुई हैं वह भी सूख जाएगी। इस विषय पर मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप बड़े सुलझे हुए मंत्री हैं आप इस सारे विषय पर सही निणर्य ले सकते हैं। हमारा विजन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं ? किस स्थान पर डैम स्थापित किए जा सकते हैं? किस स्थान पर हम हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं? ताकि हमारी स्केयर सिटी आने वाले समय के लिए हो सके। आने वाला समय बहुत घातक होने वाला है। पानी के लिए आज भी लड़ाइयां हो रही हैं और आने वाले समय में भी होगीं। तो इसलिए इस सरकार का दायित्व है कि इस विषय की ओर गंभीरता से सोचे। हमें पता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। इतनी धनराशि जो वे लाए हैं उसका हमें उचित लाभ मिले, हमारे स्त्रोत फिर से चालू हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : धन्यवाद ध्वाला जी, अब इसके बाद श्री हंस राज जी, उपाध्यक्ष अपना विषय रखेंगे।

श्री हंस राज (**उपाध्यक्ष**) : माननीय श्री राकेश पठानिया जी और माननीय सदस्य श्री रमेश ध्वाला जी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय ले करके आए हैं। प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों के कारण भू-गर्भ व सिंचाई योजनाओं में गिरते जल स्तर पर यह माननीय सदन विचार करे।

माननीय अध्यक्ष जी प्रकृति का संतुल ब्रह्माण्ड के पंच शाश्वत-तत्वों के आपसी मामंजस्य की गहन-गूढ़ता पर निर्भर होता है। जब भी मानव ने आधुनिक विषयों की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं उसमें चाहे वह जनसंख्या की वृद्धि हो, चाहे नए अनुसंधानों की खोज में आगे निकलना है । इसमें प्रकृति को छेड़ा भी है और प्रकृति ने अपना रंग दिखाना भी शुरू किया है। मानवजनित तकनीकी विकास के कारण विभिन्न पृथ्वी प्रणाली घटकों के मध्य होने वाली परस्पर क्रियाओं में हो रहे निरन्तर असंतुलन ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौती को जन्म दिया है। वर्तमान में वैश्विक जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा करण भूमण्डलीय तापन है, जो हरित गृहत प्रभाव के परिणामस्वरूप ही उद्‌भुत हुआ है।

माननीय रमेश ध्वाला जी और माननीय राकेश पठानिया जी की चिंता वाजिब है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश हिमालयी क्षेत्र है जहां पर वर्फ का अपना महत्व है और बरसात का भी अपना महत्व है। मैं समझता हूं कि शुरू से ही लगभग चार दशकों से सभी देश, संयुक्त राष्ट्रसंघ और अन्य पूथ्वी से संबंधित सभी लोग इस बारे में गहन-चिंतन में लगे हुए हैं। अब तक जितने भी इस संबंध में सम्मेलन हुए हैं उसमें इस विषय पर विस्तार से चर्चाएं हुई हैं। माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता जाहिर की है वह वाजिब है, उन्होंने इस विषय को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से लिया है। जो विकाशील और विकसित देश हैं उनकी तरफ भारत की चिंता को भी जाहिर किया है। इसमें मैं थोड़ा सा आंकड़ा लाना चाहता हूं कि 20वीं सदी का औसतन तापमान जो था वह 0.6 सैलिशियस बढ़ा है । विश्व के हिमनदों के पिघलने के कारण औसत समुद्री जल स्तर 21वीं शताब्दी के अंत तक 988 सी.एम. बढ़ने की संभावना है। भारत के हिमालयी क्षेत्र में लगभग 16 प्रतिशत हिमनद खत्म हुए हैं। हमारी जो करंट सूचना है उसके मुताबिक लगभग 21 प्रतिशत हिमनदों को हम खो चुके हैं। जिनके कारण हमारे सामने आ रहे हैं।

10/12/2018/1620/RG/HK/1

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो चिन्ता ज़ाहिर की है वह वाज़िब है क्योंकि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की चर्चा करना चाहूंगा। मेरी अपनी पंचायत सत्यास पंचायत ऐसी है जहां कभी जल का संकट हुआ ही नहीं। मतलब चारों तरफ से ही पानी। जिस साचपास पर हम लोग हर बार नेशनल हाइवे या जो हमारा स्टेट हाइवे बना हुआ है, 12 महीने बर्फ देखते थे, इस बार वहां भी बर्फ पिघली और माननीय अध्यक्ष जी, उतनी बर्फ नहीं पड़ी जितने पड़नी चाहिए थी। लेकिन ये सारे चिन्ताजनक विषय हैं। मैं समझता हूं कि वैश्विक स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से उठाया है और जब-जब भी इन विषयों को रखने की बात हुई है तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी प्रयास किए हैं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतनी गुज़ारिश करना चाहूंगा कि आने वाला सीज़न फिर गर्मी का है क्योंकि अभी सर्दी है और हम फिर दुआ कर रहे हैं कि पहाड़ों पर अच्छी बर्फ पड़े जिससे जल स्तर मजबूती से बढ़े। इसके साथ-ही-साथ जैसा कि राकेश पठानिया जी कह रहे थे कि खड्डें बढ़ी हैं, तो यह एक चिन्ताजनक विषय है कि एकदम बरसात होती है और पानी सब कुछ बहाकर ले जाता है। लेकिन इसके लिए हम जो चैक डैम्ज या पुराना ट्रेडीशनल मैथड देखें, पारम्परिक तरीके से लोग अपनी अधवारी में और गर्मियों में जब आपके माल-मवेशी ऊपर चढ़ते थे तो उनके खुरों से भी कुछ ऐसी जगहें बनती थीं जो अपने आपमें पानी को सिंचित करती थीं, अंदर ले जाती थीं और उसी से हमारे जो पानी के प्राकृतिक स्त्रोत होते थे वे अपने आप में रिच हो जाते थे। लेकिन ये चीजें भी बंटी हैं। इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की ही बात करूं तो जो मैं चर्चा कर ही रहा था कि जैसे मेरी 14 पंचायतें जो लोअर चुरहा की हैं जिसमें 'ब्रिक्स' में हमने माननीय मंत्री जी, एक स्कीम भी दी है। अगर वे स्वीकृत नहीं होती हैं तो जिस तरह से पिछली बार हमें टैंकरों को लगाना पड़ा था और आप हैण्ड पम्प्ज भी कितने लगाएंगे? सब सूख गए हैं। ग्रॉउन्ड वाटर लेवल बिल्कुल ही खत्म हो गया है। अब उसको ठीक करने के लिए हमें मॉडल तरीके से आगे तो बढ़ना चाहिए। लेकिन ट्रेडीशनल मैथड को भी साथ रखना पड़ेगा। यदि हमें प्रकृति को छेड़ना है तो प्राकृतिक तरीके से ही छेड़ना पड़ेगा। तब जाकर इस ज्वलन्त मुद्दा जो नियम-130 के अन्तर्गत माननीय श्री रमेश चंद ध्वाला एवं श्री राकेश पठानिया जी ने यहां लाए हैं, हम सार्थक तरीके से इसे हल कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा अन्त में मात्र सिर्फ इतना निवेदन है कि माननीय मंत्री जी चम्बा जिला भी अपने आप में एक पिछड़ा जिला है और वहां प्राकृतिक स्त्रोतों पर ही जल निर्भर करता है और पेयजल की सारी स्कीमें हमारे प्राकृतिक स्त्रोतों पर ही निर्भर हैं। इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आने वाले मार्च, अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई पिछले साल की तरह न जाएं और पिछले सालों वर्ष 2017, वर्ष 2016 एवं वर्ष 2015 में तो बहुत ही आफ़त आई थी। आपके प्रयासों से हैण्ड पम्प्ज तो लगे हैं लेकिन जिस भूमि को हम मॉ का दर्ज़ा देते हैं, उसकी छाती पर यदि छेद नज़र आते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि हमारी उठाऊ पेयजल योजना जो 14 पंचायतों की हैं, उनको आप 'ब्रिक्स' में स्वीकृत करेंगे। मेरा आपसे ऐसा निवेदन है। बाकी जगह हम भगवान से दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा। ऐसी गुज़ारिश है। यह एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव माननीय श्री रमेश चंद ध्वाला जी एवं श्री राकेश पठानिया जी लाए हैं। इसके लिए इनको साधुवाद एवं जय हिन्द।

अध्यक्ष : अब श्री राकेश सिंघा जी इस विषय पर चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश सिंघा : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े संक्षेप शब्दों में इस विषय पर इस सदन में अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं बिल्कुल मानता हूं कि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज्वलन्त है और जो इसके इम्पैक्ट पूरे देश, दुनिया और हिमाचल में रहे हैं, probably आज हम उसको visualise नहीं कर पा रहे हैं कि कितना नुकसान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए

लेकिन इस विषय पर अपनी बात को आगे ले जाने से पहले मैं समझता हूं कि इस सदन में इस बात को वजनदार तरीके से रखने की जरूरत है कि क्लाईमेट चेन्ज का मुख्य कारण क्या है। इसका समाधान निकालें, अच्छी बात है।

10/12/2018/1625/MS/HK/1

इसका इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, किस प्रकार से सरकार की नीति तब्दील करके किसानों को मदद की जा सकती है, वह विषय अलग है। सदन इस बात को नोट करे कि दुनिया में जो यह वातावरण 2 डिग्री से ऊपर बढ़ रहा है और उसको नीचे रखना है, उसके लिए वे विकसित मुल्क तैयार नहीं हैं। जो दुनिया में एक सहमति बनाने का प्रयत्न किया गया, चाहे क्योटो प्रोटोकोल के जरिए या पैरिस की संधि के जरिये, उसमें आज वे विकसित मुल्क दोषी रहे हैं। क्योंकि विषय इस संकल्प का कुछ और है इसलिए उसी पर मैं अपनी बात केन्द्रित करना चाहता हूं और आपकी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह समय और जो समय इसके बाद आने वाला है, अगर इंटरनैट की रिपोर्ट सही है तो इस साल भी मौसम उतना ही खतरनाक होने वाला है जैसे पिछले साल था। इसलिए आपकी सरकार को इसके लिए पहले से तैयार रहना है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं और जो पठानिया जी ने भी यहां कहा है कि अलग-अलग समय में बहुत भारी वर्षा से जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की पूर्ति हम किस तरीके से कर सकते हैं यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वर्ष 1980 को छोड़िए जब यह फॉरैस्ट कन्जरवेशन ऐक्ट आया था। उस ऐक्ट से पहले जब कभी भी किसान की जमीन का नुकसान हुआ तो राज्य ने उसकी जिम्मेवारी ली और उस जिम्मेवारी को निभाते हुए शायद राज्य उसके नुकसान की पूर्ति न कर सका हो लेकिन जमीन का तबादला किया जाता था। जब कभी बादल फटा, जमीन बही, जमीन का नुकसान हुआ या सड़क का निर्माण करते समय जमीन का नुकसान हुआ या डैमों का निर्माण करते समय नुकसान हुआ तो उस किसान की जमीन की पूर्ति तबादला नीति के तहत की गई। जिस तबादला नीति को अब हमने छोड़ दिया है उसको पुनः किस तरीके से स्थापित किया जा सकता है, इस पर सरकार को सोच-विचार करना है। इसीलिए करना है कि हिमाचल प्रदेश में 60 फीसदी किसान इस प्रकार का है जिसके पास भूमि 6 बीघा या 6 बीघा से कम है।

(घण्टी) उपाध्यक्ष जी, मैं दो मिनट का समय लूंगा। भारत सरकार बहुत जोरदार तरीके से कहती है कि वर्ष 2022 तक किसान की आय को दोगुना करना है और दोगुना करना तब तक संभव नहीं है जब तक हम उसकी जमीन की सुरक्षा नहीं करेंगे।

दूसरे, रिलीफ मैन्युअल में कुछ नहीं है। कृषि मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं और ये जानते हैं कि जो हमारा रिलीफ मैन्युअल है यह टोटली आउटडेटिड है। उस रिलीफ मैन्युअल को भी हमने अपडेट करना है ताकि जब भी किसान का नुकसान हो तो एटलिस्ट उसकी पूर्ति हो सके। कई किसानों ने जिन्होंने रिलीफ मैन्युअल के तहत अप्लाई किया है उन्होंने सरकार के लिए छोड़ दिया है कि इसे आप रखो क्योंकि इस रिलीफ मैन्युअल से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है।

अन्त में लास्ट वर्शन मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि विषय है कि किस तरीके से हम इस पानी का दोहन करके कृषि को मजबूत कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी सरकार जो नई-नई स्कीमें लाती रहती है उसे इस स्कीम के बारे में भी सोचना है कि रेन हार्वेस्टिंग को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। छत के पानी को इकट्ठा करने के लिए अगर हम किसान की मदद करेंगे और उसको किसी रूप में अनुदान देंगे तो मैं समझता हूं कि यह लोकप्रिय हो सकता है। पानी का दोहन खेत और घर के नजदीक आसानी से हो सकता है और उस पानी का इस्तेमाल कृषि के लिए भी हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

10.12.2018/1630/जेके/एजी/1

उपाध्यक्षः अब कर्नल इन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

कर्नल इन्द्र सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस ज्वलंत विषय पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय श्री रमेश ध्वाला जी ने ठीक ही कहा कि जल है तो कल है यानि जल ही जीवन है। जितना जल हमारी धरती पर है उसका केवल एक प्रतिशत जल हमारा पीने के लिए और खेती के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए उस जल को बचाना हम सब का कर्त्तव्य बनता है। मैं समझता हूं कि उस जल का संचय और संरक्षण करना आज की मूल आश्यकता है। पानी की खपत बढ़ी है इसमें कोई शक नहीं है। वर्ष 1952 में जितना पानी हमारे पास उपलब्ध था आज उसका 33 प्रतिशत पानी खत्म हो चुका है यानि कि हमारे पास उस पानी

का 66 प्रतिशत ही उपलब्ध है जबकि हमारी आबादी बढ़ी है, ओद्यौगिकीकरण बढ़ा है और सभी जगह पानी की खपत बढ़ी है। मैं समझता हूं कि हिमाचल में जिस भूमिगत पानी की बात हो रही है वह तभी बढ़ सकता है जब हम इसका संरक्षण करें। यह कहा जाता है कि पहाड़ों में जवानी और पानी नहीं टिकता लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी पानी को जरूर टिकाएंगे। इतनी बड़ी स्कीम इन्होंने केन्द्र से लाई है। पांच हजार करोड़ रुपए के लगभग जल संरक्षण के लिए लाया गया है। उससे पानी जरुर रुकेगा जवानी रुके या न रुके यह अलग बात है। हिमाचल प्रदेश में जितना भी पानी हम लोग पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं वह केवल लिफ्ट इरिगेशन या एल0डब्ल्यू0एस0एस0 के माध्यम से ही करते हैं। इससे वाटर लैवल दिन-प्रति-दिन नीचे जा रहा है। हर साल तकरीबन एक फुट पानी का स्तर नीचे चला जाता है। प्रदेश में कई ब्लॉक ऐसे हैं जो कि डार्क ज़ोन श्रेणी में आ गए हैं जहां पर पानी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। हिन्दुस्तान में तकरीबन 73 प्रतिशत पानी कृषि में लगता है। विश्व में 69 प्रतिशत लगता है। हमारे यहां पर पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। उद्योगों पर हम लगभग 11 प्रतिशत पानी इस्तेमाल करते हैं जबकि विश्व में इसकी एवरेज 23 प्रतिशत है। घरेलू कामों के लिए हम 13 प्रतिशत पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर दुनिया में देखें तो कुल मिला कर 8 प्रतिशत ही इस्तेमाल होता है। जो हम कृषि पर 73 प्रतिशत पानी इस्तेमाल करते हैं उसको कम किया जा सकता है। अगर हम नए तरीके से कृषि का काम करेंगे, जैसे ड्रिपिंग के माध्यम से खेतों को पानी दें या स्प्रिंकलर के माध्यम से खेतों को पानी दें। जैसे कि इज़राइल में डिज़र्ट एरियाज़ में भी उन्होंने बहुत अच्छी खेती इस माध्यम से की है। उससे पानी भी कम लगता है इसलिए यहां पर गुंजाइश है कि हम पानी को रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे घरेलू यूज़ के लिए भी हम पानी कट कर सकते हैं। मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में तीन बड़ी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्ज़ तकरीब एक-एक, डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए की बनाई है। मैं समझता हूं कि यदि उससे पानी ड्रिपिंग सिस्टम से या स्प्रिंकलर के माध्यम से लगाते हैं तो बहुत कम पानी इस्तेमाल होता है। वे स्कीमें सिल्ट से न भरी जाएं इसलिए उनके लिए हमने डिसिल्टिंग का प्रबन्ध कर रखा है। अगर सिल्ट से भर भी जाएं तो एक ओपनिंग ऐसी रखी है जिसको बरसात में जब पानी बहुत तेज आता है तो उसको

खोल कर वह सिल्ट अपने आप ही निकल जाती है। इसलिए एक बहुत अच्छा सिस्टम हमने माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से बनाया है। ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु में जो परिवर्तन हुआ है और वर्षा का जो जल चक्र है वह बड़ा अजीब हो गया है। वर्षा का इरेगुलर पैटर्न हो गया है । जैसे कि यहां पर पठनिया जी ने भी कहा, इतनी बड़ी बरसात हो गई जिससे फायदे के बजाय ज्यादा नुकसान हो गया। बढ़ती जनसंख्या, ओद्यौगिकिकरण और खनन की वजह से पानी की खपत एकदम से बढ़ गई है। खनन की वजह से तो पानी टिकता ही नहीं है। हमारी सारी खड्डें, नालें और नदियां सभी गहरी होती जा रही हैं। खनन यदि हम सही ढंग से करें और इसको कानूनी तौर पर करें तो मैं समझता हूं कि इसका हमें आर्थिक तौर पर फायदा भी होगा और खनन भी रैगुलेटिड मैथड से होगा। एक अजीब सी बात यह भी हो गई है कि आई0पी0एच0 ही अब सब कुछ करेगा।

10.12.2018/1635/SS-YK/1

यह लोगों में एक डिपैंडेंसी सिंड्रोम चला गया है कि जो भी काम करेगा, आई0पी0एच0 करेगा। अगर नलका खुला है तो हम उसको बंद नहीं करेंगे, उसे आई0पी0एच0 का आदमी आकर बंद करेगा, हमें इस मानसिकता से भी ऊपर उठना है। ऐसा मैं समझता हूं।

दूसरे हम जंगल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जंगल कटते जा रहे हैं। उसकी वजह से रेन के पानी का जो बहाव है वह तेज हो जाता है, वह रुकता नहीं है और जमीन के अंदर पानी रचता नहीं है। यह भी घटते जलस्तर का एक कारण है। लेकिन मैं माननीय प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने उज्जवला योजना दी है। --(व्यवधान)--

उपाध्यक्षः कर्नल इन्द्र सिंह जी, कृपया वाइंड अप करें।

कर्नल इन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, साथ में जो गृहिणी सुविधा योजना दी है उससे जंगल कटने बंद हो गए हैं। लेकिन जंगल में जो आग लगती है उससे कितना बड़ा नुकसान होता है, ये सब इस दिशा में नुकसान करने वाली बातें हैं। मैं समझता हूं कि जो हमने चीड़ के पेड़

लगाए हैं, चीड़ के बहुत से जंगल लगे हैं, उनकी वजह से चीड़ की पत्तियां पानी रोकती नहीं हैं। इसमें वन मंत्री जी को चाहिए कि कुछ ऐसा प्लान करें कि मिक्सड जंगल लगाएं और चीड़ के जंगल न लगा करके भविष्य में दूसरे जंगल लगाएं। चीड़ का पेड़ बिजली का गुड कंडक्टर है। जहां-जहां चीड़ के जंगल होंगे वहां अवश्य ही बादल फटेंगे। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस दिशा में भी हमें सोचने की आवश्यकता है।

रेन हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में यहां बहुत कुछ बताया गया। लेकिन अंडर वाटर टेबल को हम सैटेलाइट इमेजरी से भी चैक कर सकते हैं कि इसमें कितनी कमी आई है और कितनी बढ़ोत्तरी हुई है। उसका भी फायदा उठाना चाहिए। एक भू-जल प्रबन्धन में हमें भौगोलिक सूचना प्रणाली से भी मदद मिल सकती है। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर हम व्यक्तिगत तौर पर जल प्रबंधन करें तो भी फायदा होगा। सामुदायिक तौर पर भी करें तो भी फायदा है। सब कुछ सरकार पर न छोड़ करके हम अपने आप भी देखें कि कहीं हम पानी का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। सुबह से शाम तक हम पानी इस्तेमाल करते हैं उसमें हम पानी बचा सकते हैं, मैं ऐसा समझता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः माननीय कर्नल इन्द्र सिंह जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले हैं इसलिए सिर्फ पांच मिनट के अंदर अपना-अपना विषय रखें। अब चर्चा में भाग लेने के लिए मैं माननीय सुख राम चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं।

श्री सुख रामः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वश्री राकेश पठानिया और रमेश चंद ध्वाला जी ने जिस विषय पर नियम-130 के अंतर्गत चर्चा की है वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे हमारी जमीन का वाटर लेवल कम हो रहा है और जो

हमारी सिंचाई की स्कीमें हैं उनका जलस्तर दिन-प्रतिदिन घट रहा है। हमारे देश के जो आदरणीय प्रधान मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हमने किसान की इन्कम दुगुनी करनी है और इसके अंतर्गत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना आदरणीय प्रधान मंत्री ने देश में लागू की। हिमाचल प्रदेश इस स्कीम का बेनिफिट ज्यादा नहीं ले सका, उसके कई कारण हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। पूर्व की सरकार ने ऐसी कोई स्कीमें बनाई नहीं जिससे हिमाचल प्रदेश को इस स्कीम का फायदा मिलता। आज हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित हिमाचल प्रदेश का किसान है क्योंकि जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है उसमें वर्षा कम होनी शुरू हो गई। हमारे जो ग्रेविटी के सोर्स हैं वे सूखने शुरू हो गए। प्राकृतिक पानी के स्त्रोत कम हो गए। पहले जो बरसात 15 जून से शुरू होती थी, अब 15 जुलाई से शुरू होती है। तीन महीने की बरसात अब सिर्फ 45 दिन ही होती है। बरसात भी ज्यादा ही होती है। जिस दिन बरसात होती है तो अरबों रुपये का नुकसान प्रदेश का कर जाती है। इसलिए हमें इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से हिमाचल प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए।

10.12.2018/1640/केएस/वाईके/1

इसलिए हमें हिमाचल प्रदेश में इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है और कुदरत ने इस प्रदेश को बहुत कुछ दिया है। बरसात यहां पर ज्यादा होती है पूरा पानी नदियों में टिकता नहीं है, जमीन में रिस्ता नहीं है, बहकर चला जाता है । हरियाणा और पंजाब की जमीन की सिंचाई उसी पानी से होती है। वह पानी किसी की पीने के पानी से प्यास बुझाता है, किसी की जमीन की प्यास बुझाता है । मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और आदरणीय सिंचाई मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो स्कीमें अभी बनी हैं, जैसे फ्लड एण्ड रीवर मैनेजमेंट की 4893 करोड़ रु0 की स्कीम बनी है, वाटर कंजर्वेशन की 4751.24 करोड़ रु0 की स्कीम बनी है, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हम किसान की जमीन की कैसे सिंचाई कर सकते हैं, इसके लिए जहां ग्रेविटी की

स्कीमें बननी हैं, वहां ग्रेविटी की स्कीमें बनाई जाए और जहां लिफ्ट की स्कीम बननी है वहां लिफ्ट इरिगेशन की स्कीमें बनाई जाए । हम पूरे हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रवार ऐसी योजना बनाएं ताकि हमारी जो जमीन है, जो हमारे यहां अधिक बरसात होती है, उसका हम अधिक से अधिक लाभ ले कर अपनी जमीन की प्यास बुझा सके। इस तरह की योजना हिमाचल प्रदेश में हम सभी को बनानी चाहिए। नहीं तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि जंगली जानवरों व बंदरों से हिमाचल प्रदेश के किसान वैसे ही परेशान है, खेती करना कोई नहीं चाहता। लैंड होल्डिंग कम हो रही है। किसी का रूझान खेती की ओर नहीं है। इसलिए एक महत्वकांक्षी योजना बनाकर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को भेजें ताकि जिस तरह से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना भारतवर्ष में चली जिसका हिमाचल प्रदेश को बहुत ज्यादा लाभ हुआ, ऐसे गांव जहां कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वहां सड़क जाएगी, वहां सड़क मिली है । इसी तरह से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना या कोई अन्य योजना हम बनाएं। हम किसी एक क्षेत्र में कम्पलीट जमीन की सिंचाई करने का प्रबन्ध करें। जो पानी बरसता है उसका दोहन करके, उसको रोक कर चैक डैम लगाकर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करे तब जा कर किसान का रूझान खेती की ओर होगा और हिमाचल प्रदेश का किसान बागवानी की ओर भी जाएगा। यह योजना प्रदेश सरकार बनाए। यहां पर नियम 130 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन हो रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जितने हमारे डैम हैं, मैं यहां पर उत्तराखंड का उदाहरण देना चाहूंगा, वहां पर नहरें हैं, शक्ति नहर के नाम से जो प्रोजैक्ट्स लगे हैं, उसकी जो सिल्ट होती है, उस सिल्ट की ऑक्शन करोड़ों रुपये की होती है और तब जा कर स्टोन क्रशर में उसकी पिसाई होती है। स्टोन क्रशर वाले उस सिल्ट को लेते हैं ।हिमाचल प्रदेश में भी कई हमारे छोटे-छोटे डैम हैं। उनकी ऑक्शन की जाए। जब उनकी सिल्ट बाहर निकले, वह स्टोन क्रशर वाले लें ताकि उसका हिमाचल प्रदेश को लाभ हो और जो हमारे डैम हैं, उनकी सफाई भी हो जाए।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करिए।

श्री सुख रामः हिमाचल प्रदेश में तो स्टोन क्रशर के नाम पर फिश पौंड बनते हैं लेकिन मैंने फील्ड में आज तक कोई फिश पौंड बनते नहीं देखा है जिसमें एक भी मच्छली का पालन हुआ हो। हिमाचल में तो पिछली सरकार के समय में टैम्परेरी रूप से केवल स्टोन क्रशर की परमिशन लेने, मटीरियल निकालने के लिए फिश पौंड के नाम से अनुमति मिलती लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टोन क्रशर को उस मटीरियल को इस्तेमाल करने और निकालने की परमिशन दी जाए उससे हमारे डैमों की सफाई भी होगी और हिमाचल प्रदेश को अर्निंग भी होगी । मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी स्कीमें बनती हैं, स्कीमें बनने से पहले ही खत्म हो जाती है। सिंचाई की एक-एक स्कीम को बनाने के लिए 15-15 साल लग जाते हैं। स्कीम बनाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित हो।

10.12.2018/1645/av/ag/1

वह स्कीम बने और उससे हमारे किसानों को लाभ मिले। इसलिए मैं पुनः माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि आपके पास ऐक्सपीरियंस भी बहुत है इसलिए एक कम्पलीट स्कीम बनाइए। आप इस बारे में विचार कीजिए कि हिमाचल प्रदेश के किसानों की जमीन की सिंचाई का प्रबंध कैसे हो सकता है। ग्रेविटी से या लिफ्ट करके; चाहे जैसे भी करें मगर ऐसी व्यवस्था करें ताकि हिमाचल प्रदेश के किसानों की इनकम बढ़ने के साथ-साथ उनका अपनी जमीन में मेहनत करने का रुझान भी बढ़े।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : चौधरी जी, आपका धन्यवाद।

अब माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी अपनी बात रखेंगे।

श्री बलबीर सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया और श्री रमेश चंद ध्वाला द्वारा शुरू की गई चर्चा सामायिक है। मैं समझता हूं कि अगर इस पर समय रहते कोई कारगर उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में एक विकराल स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। मैं इतना भी जरूर कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश की जय राम ठाकुर की सरकार और विशेषकर के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने यह शुरुआत शुरू कर दी है कि इस धरती माता को कैसे बचाया जाए तथा किसानों को लाभ कैसे पहुंचाया जाए। इसके अतिरिक्त गरीब को पीने के लिए साफ पानी किस प्रकार दिया जाए, मैं इसके लिए माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद करना चाहूंगा। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव भारत माता पर पड़ता है। प्रदेश में पीने-के-पानी की कमी और ग्राउंड वाटर लैवल बहुत नीचे चला गया है। अमीर व्यक्ति तो पानी खरीद कर भी पी रहा है, वह पानी इस्तेमाल करने के लिए खरीद भी सकता है। वह पानी टैंक से लाए या बोतल के माध्यम से खरीदे परंतु गरीब व किसान को पीने के लिए साफ पानी तथा सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। आज गरीब की स्थिति यह है कि वह भयंकर बीमारियों का शिकार हो रहा है। उसको खून की कमी हो रही है, अगर हम प्रदेश में गरीब लोगों को सही और साफ पानी उपलब्ध करवायेंगे तो मैं समझता हूं कि उनको कई बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। इस प्रदेश में वर्षा के पानी की एक-एक बूंद को रोककर डैम के माध्यम से इकट्ठा किया जाए। माननीय मंत्री महोदय ने केंद्र से लगभग 4751.24 करोड़ रुपये की एक स्वीकृति करवाई है जिसके लिए मैं इनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। यह हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बहुत बड़ी योजना है जो कि प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदलेगी। लेकिन मेरा माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन जरूर है कि आपका विभाग बहुत बड़ा है जो कि हर घर व हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको और ज्यादा स्ट्रेन्थन करने की जरुरत है। हमारे जिला ऊना में एक सवां जलागम परियोजना आई थी, उस योजना के अंतर्गत 'जायका' के माध्यम से ढाई सौ करोड़ रुपये की राशि

धरातल पर लगनी थी। उसके अंतर्गत छोटे-छोटे चैक डैम लगाकर धरती को हरा-भरा करना था। वह काम वन विभाग को दिया गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह ढाई सौ करोड़ रुपये की राशि जो ऊना के लिए आई थी उसमें से लगभग 30-40 प्रतिशत धरातल पर लगी और बाकी पैसा कागजों में ही लगा जिसको वन विभाग के अधिकारी चट कर गये, मुझे यह बोलने में कोई गुरेज नहीं है। मैं मंत्री महोदय से विशेषकर यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो लगभग 5 हजार करोड़ रुपये की योजना मंजूर करवाई है इस योजना का काम एक ऐक्सपीरियंस्ड संस्था को दिया जाए। उसके लिए एक अलग विंग बनें जो पूरे हिमाचल प्रदेश में एक आकलन करे कि डैम कहां पर सफल हो सकता है, कहां पर पानी इकट्ठा हो सकता है यानी यह राशि केवल कागजों में ही न रह जाये। मेरा आज 820 नम्बर एक प्रश्न भी लगा था परंतु समय की कमी के कारण मौका नहीं मिल पाया। मैं उसके माध्यम से भी जिला ऊना में उत्पन्न हो रही पानी की कमी की विकराल स्थिति के बारे में जानना चाह रहा था।

10-12-2018/1650/TCV/DC/1

हमारे ऊना में एक स्वां नदी बहती है, उसमें 12 महीने पानी बहता रहता था लेकिन आज उस नदी की दयनीय स्थिति हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह पहली बार सोचा, हालांकि जब पिछले वर्ष प्लानिंग की बैठक में मैंने बात रखी थी कि पौंग डैम से नहरीकरण के माध्यम से जिला ऊना की प्यास को बुझाया जाये। माननीय मंत्री जी ने इस पर गौर किया और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैंने एक प्रश्न के माध्यम से पूछा था कि क्या नहरीकरण के माध्यम से जिला ऊना की प्यास को बुझाया जा सकता है? जिसका सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि यदि बी0बी0एम0बी0 से हमें परमिशन मिल जाती है तो हम सोच रहे हैं कि पौंग डैम से शाहनहर की तर्ज पर जिला ऊना की प्यास बुझाने का काम किया जाये। माननीय मंत्री महोदय, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे इस बारे में ज्ञात नहीं है कि इस समझौते के अनुसार हमें वहां से पानी उठाने की परमिशन है या नहीं। लेकिन यदि परमिशन नहीं भी है तो अभी से आप ऐसे उपाय करें कि बी0बी0एम0बी0 मजबूर हो करके इसके लिए सहमत हो जाये। क्योंकि ऊना तो पहले भी पंजाब का हिस्सा हुआ करता था और पंजाब से कट करके ही हम हिमाचल में

आये थे। इसलिए उस पानी में हमारा हिस्सा बनता है, पूरे हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनता है। अतः आप ऐसे उपाय करें कि वह नहर बने और आने वाला भविष्य उस नहर को देखें और आपको हमेशा याद रखें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद। अब श्री किशोरी लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री किशोरी लालः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत यहां पर जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी एवं श्री रमेश ध्वाला जी ने लाया है, मैं इस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना आज सारी दुनियां को करना पड़ रहा है। यदि समय रहते जलवायु परिवर्तन को रोका नहीं गया तो आने वाले समय में हमारे इस देश को भूखमरी, जलसंकट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में जलवायु परिर्वतन से होने वाले दुष्प्रभाव के कारण भू-गर्भ एंव सिंचाई योजनाओं में घटते जल स्तर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मेरे चुनाव क्षेत्र में आज से 20 वर्ष पहले सर्दियों में 7-8 फुट बर्फ आती थी लेकिन आज मात्र 2-3 फुट बर्फ पड़ती है। जिसके कारण हमारे पानी के स्रोत सुख गये हैं और इस कारण से पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है और कृषि और बागवानी को नुकसान हो रहा है। मैं प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए आदरणीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी का और माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्री महेन्द्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूं। अभी हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए लगभग मु0 5000 करोड़ रुपये दिए हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं। जलवायु परिवर्तन को कैसे स्थिर रखा जाये उसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा और जो हमारे परम्परागत पानी के स्रोत हैं, उनको जीवित रखना होगा। इसके अलावा स्नो एवं रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और नदी-नालों पर चैकडैम बनाना भी बहुत जरूरी हो गया है। ताकि पानी की समस्या न हों। मेरे चुनाव क्षेत्र में रामपुर प्रोजैक्ट बना है उसमें सुरंग निकाली गई है, जिससे हमारे पानी के सारे स्रोत सुख गये हैं। आने वाले समय में हमें प्रयास करना होगा कि प्राकृतिक

संसाधनों का सही उपयोग हों। इसके साथ ही जलवायु परिर्वतन के लिए वन विभाग को भी युद्धस्तर पर प्लांटेशन करनी होगी।

10-12-2018/1655/NS/DC/1

मैं अपनी प्रदेश सरकार माननीय जय राम ठाकुर जी और माननीय वन मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस वर्ष लाखों की संख्या में पौधे लगाए गए हैं। मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र आनी में महिला मंडल, युवक मंडल और सैल्फ हैल्प ग्रुप माध्यम द्वारा एरिया विभाजित करके पौधे लगवाये गए हैं। यदि हमारे क्षेत्र में अच्छी प्लांटेशन होगी तो जलस्तर भी ठीक होगा, वर्षा भी समय पर होगी और इसके लिए हम सबको मिल करके प्रयास करना होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे चुनाव क्षेत्र की बात है तो आनी विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र में उठाऊ पेयजल योजना और सिंचाई योजना कामयाब तो हो रही हैं। लेकिन जिस ढंग से कामयाब होनी चाहिए, उस ढंग से नहीं हो रही हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आने वाले समय में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हर गांव में पानी की सुचारू सप्लाई के लिए एक बड़े टैंक का निर्माण किया जाए। मेरे क्षेत्र में पानी के स्रोत कम हो गए हैं, जिसके कारण वहां पर बहुत समस्या आ रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जहां तक बहाव को रोकने की बात आती है तो इसके लिए हम सबको मिल करके प्रयास करने चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्षः माननीय किशोरी लाल जी, आपका धन्यवाद। अब चर्चा में श्री जीत राम कटवाल भाग लेंगे। आप समय का ध्यान रखें।

श्री जीत राम कटवालः उपाध्यक्ष महोदय, सात मिनट का समय दे दीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जलवायु परिवर्तन के ऊपर माननीय श्री रमेश चंद ध्वाला जी और माननीय श्री राकेश पठानिया जी द्वारा प्रायोजित इस विषय पर मैं भी अपने विचार रखने जा रहा हूं। मौसमी दशाओं में बदलाव यानी क्लाईमेट चैंज पर मेरा जो अनुभव है, इसमें extreme climatical or weather conditions का हमारे समक्ष एक गंभीर चुनौती के रूप में उद्‌गम हुआ है। ये सारी स्थिति विकास, वनों का विलुप्त होना और ग्रीन हाउसिज़

गैसिज़ का उत्सर्ज़न आदि इन सबसे जोड़ करके देखा जाता है। इसमें अंतराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल अनुसंधान संस्थान द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई है तथा केंद्र सरकारों, राज्य सरकारों और आम जन-मानस को अवगत भी करवाया गया है। आज हमारे सामने इसके गंभीर मुद्दे हैं, जैसे कि increasing temperature और ज्यादातर परिस्थितियां rainfall pattern में चैंज से संबंधित हैं और इसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। वर्ष 1970 के दशक के अध्ययन के बाद से यह मालूम पड़ता है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लोबल वार्मिंग का माप आंका गया है। इसमें विपरीत रूप से वनस्पति, आम जन-मानस और वर्षा व वातावरण का जो पैटर्न है, इसको बदलने में गंभीर चुनौती पेश की है। इससे ecological imbalance यानी वातावरण का असन्तुलन और इसके साथ जो weather conditions हैं, वे हमें adversely confront कर रही हैं।

10.12.2018/1700/RKS/HK-1

औद्योगिकरण, पैट्रोल, फोसिल फ्यूल इनके अत्यधिक उपयोग और ग्रीन हाउस के अत्यधिक उत्सर्जन से इन चीजों को जोड़ा जाता है। ओजॉन लेयर एक परत है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में है और जो सूर्य से खतरनाक रेडिएशन्ज निकलती है उनसे बचाती है। उसे भी इसके खतरे के रूप में देखा जा रहा है। जनसंख्या का बढ़ना, पानी का अत्यधिक दुरुपयोग, जंगलों का विलुप्त होना कुछ ऐसे मानवीय कृत्य हैं जिसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। यह सब भी इसका कारण रहे हैं। पहाड़ों पर 10-12 हजार मीटर के बीच में ट्री-लाइन विलुप्त होना शुरू होती है परंतु जो हमारे समतल क्षेत्र हैं वहां पर वनों का विनाश मानव जाति और सभ्यता के विकास के नाम तथा अपने निजि स्वार्थ के लिए हम सब उत्तरदायी हैं। इस वर्ष वर्षा का पैटर्न लगभग बराबर ही रहा है। ऐसा देखने को मिला है कि कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हुई है और कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सूखा भी पड़ा है। रेनफॉल का जो अनियमित व्यवहार है यह जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। जो समय से पहले स्नो फाल हुआ उससे भेड़-बकरियां और पर्यटक सभी लोग परेशान हुए। सरकार को सुविधाएं जुटाने के लिए हवाई जहाज की सेवाएं लेनी पड़ी। इसके लिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग, पोंडिंग, इनक्रिजिंग वैजिटेशन कवर, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और डाइक्स

वगैरह की आवश्यकता है। हमने पानी की विकट समस्या को महसूस किया है और इसके लिए माननीय मंत्री जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी के निदेशानुसार 4751 करोड़ रुपये का एक प्रोजैक्ट लाया है। उस प्रोजैक्ट के तहत अच्छे डैम और अच्छे चैक डैम बनाने की व्यवस्था हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्ज बनाते समय स्थानीय प्रतिनिधि जिसमें पंचायत से लेकर विधायक तक का सुझाव लिया जाए और वे आपस में तालमेल के साथ काम करे।

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

अनसाइंटिफिक माइनिंग की वजह से मेरे चुनाव क्षेत्र में सरकाघाट से लेकर झंडूता चुनाव क्षेत्र तक जो सीर खड्ड से 50 स्कीमें चलती हैं, उनका वाटर लैवल प्रतिवर्ष

नीचे जा रहा है जिसके लिए डाइक्स और डैम्स की व्यवस्था की जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मेरे चुनाव क्षेत्र की सीर खड्ड में दो डैम्स की व्यवस्था की है और इसके लिए साइट्स भी सलैक्ट की हैं। मुझे पूरा विश्वास है यह एक अच्छा काम होगा। छोटी-छोटी खड्डों में जो बांधों का प्रयोग है और जो वाटर हार्वेस्टिंग की सोच है उससे कठिन परिस्थितियों से हमें निजात मिलेगी। हम सब लोग इसमें सहयोग करें और जागृत रूप से भाग लें। इस समस्या का सार्थक रूप से हल हो, सरकार का सहयोग हो, सरकार का आशीर्वाद हो और जनमानस की सहभागिता हो, ऐसा मेरा सोचना है। जो कठिन परिस्थितियां हम देख रहे हैं अगर हम कम नहीं कर सकते तो कम-से-कम इन्हें रोकने में सार्थक प्रयास करें। माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलेने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

10.12.2018/1705/बी.एस./एच.के./-1

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र गर्ग जी भाग लेगें।

श्री राजेन्द्र गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी और माननीय सदस्य श्री रमेश ध्वाला जी द्वारा यह प्रस्ताव इस माननीय सदन में रखा गया है, यह जो जलवायु परिर्वतन हो रहा है उसके कारण आज हम सब के कारण संकट पैदा हो रहा है। वह वास्त में चिंता का विषय है और सामायिक विषय इस माननीय सदन की चर्चा में आया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। आज जो परिस्थितियां बन रही हैं वह उस ओर ही बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें समय रहते इन सारी परिस्थितियों का अभी से योजना बना कर सामना करने के लिए तैयारी करनी होगी। जलवायु संकट के कारण पीने के पानी की समस्या विकराल रूप से हमारे सामने है। किसानों के खेतों को पानी न मिलना भी एक बड़ी समस्या है। हमारे प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो। तीसरा भूमि कटाव ज्यादा बारिश के कारण होता है और जो किसान भाई खड्डों के किनारे बसते हैं उनको जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है वह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। पीने के पानी के साथ-साथ हमें किसानों के खेतों के लिए भी विचार करना पड़ेगा। ज्यादा बारिश और बाढ़ के कारण किसानों को समस्या का सामना करना पड़ता है उसके लिए भी हमें एक साथ विचार करना पड़ेगा। इन सभी चीजों पर हमें विचार करना पड़ेगा ताकि हम चुनौतियों का सामना कर सकें । पानी को रोकना एक चुनौति है और इसके लिए प्रदेश के अंदर जहां-जहां जैसा-जैसा संभव हो वहां चैक डैक बनाए जाएं और जहां खड्डें हैं उनका चैनेलाइजैशन किया जाए ताकि बाढ़ के कारण लोगों का नुकसान न हो। घुमारवी चुनाव क्षेत्र की 12.10.2007 की वह काली रात मुझे आज भी याद है जब उस समय भयंकर बाढ़ आई थी और उसमें कई लोग, मवेशी और लोगों के घर बह गए थे। 10 वर्षों के बाद उसी तरह 12 अगस्त, 2017 की रात को एक भयंकर बाढ़ आई परंतु उसमें जान-माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यह चीजें बार-बार होती रहती है और जो लोग खड्डों के किनारे रहते हैं वह चिंता के कारण ठीक ढंग से सो भी नहीं पाते हैं। क्योंकि उनके दिल में बाढ़ का डर होता है और मजबूरी में उनको रात भर जागना पड़ता है। बाढ़ से बचने

के लिए अगर जाहू से लेकर घुमारवीं तक जो सीर खड्ड है उसका चैनेलाइजेशन हमारी सरकार करे दे तो एक बहुत बड़े संकट से हमारे घुमारवीं क्षेत्र को इससे छुटकारा मिलेगा।

जो किसानों की जमीने तबाह होती है उसके लिए छोटे-छोटे कुएं और टैंक्स बनाने के कार्य में स्वायल कन्जर्वेशन विभाग को कार्य करना चाहिए ताकि छोटे-छोटे स्तर पर पानी को रोकने के प्रबन्ध किए जाएं। इससे ही संबंधित एक खनन का विषय है और यह इसके साथ जुड़ा हुआ है।

10/12/2018/1710/RG/YK/1

जहां अवैध खनन और अत्यधिक खनन की समस्या हमारे साथ है। वहीं खनन के लिए हमारे ग्रामीण बन्धुओं को आज रेता और बजरी की जो आवश्यकता होती है, वह भी हमारे लिए एक चिन्ता का विषय है। हमारे ग्रामीण बन्धुओं ने ट्रैक्टर्ज रखे हैं। बार-बार उनके चालान होते हैं और 5,000/-रुपये या 10,000/-रुपये का उनको चालान भरना पड़ता है। मजबूरी में उनको जाना पड़ता है। एक तो सरकार की सम्पत्ति रेता और बजरी का सामान अवैध तरीके से वहां से चोरी हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे ग्रामीण बन्धुओं को यदि वे बाहर से सामान लेते हैं तो उनको ज्यादा कीमत पर वह सामान खरीदना पड़ता है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इस विषय पर भी दोनों पहलुओं पर विचार किया जाए। जहां खनन के कारण जल स्तर गिरता है, वहीं हमारे लोगों की रेता एवं बजरी की आवश्यकता भी पूरी हो, इसके लिए भी एक वैज्ञानिक एवं वैध तरीके से इसकी व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना है और उन्हें बधाई भी देनी है कि इन्होंने इस विषय को लेकर जैसे ही हमारी सरकार बनी, वैसे ही आपने जल की समस्या को हल के लिए केन्द्र से लगभग 4700 करोड़ रुपये की राशि जो प्रदेश के लिए लाई है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई भी देता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज इस जलवायु में परिवर्तन पर जो चर्चा यहां लाई है, उस पर मैंने अपने विचार रखने का प्रयत्न किया है और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस दिशा में पूरे प्रदेश को राहत पहुंचाएंगे। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

अध्यक्ष : नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा में दोनों प्रस्तावकों के अतिरिक्त आठ माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां रखे हैं। अब माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, दो बहुत ही वरिष्ठ सदस्यों ने केवल मात्र प्रदेश और राष्ट्र के बारे में ही अपना चिन्तन व्यक्त नहीं किया है बल्कि पूरे विश्वव्यापी ऐसी गंभीर स्थिति जो दिन-प्रति-दिन वर्षवार गंभीर होती जा रही है, इस पर आदरणीय श्री राकेश पठानिया जी एवं आदर के योग्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी जो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने प्रस्ताव सदन में लाया है जिस पर इस सदन के माननीय उपाध्यक्ष श्री हंस राज जी, भाई श्री राकेश सिंघा जी, आदरणीय कर्नल श्री इन्द्र सिंह जी, अनुभवी सदस्य श्री सुख राम जी और श्री बलबीर सिंह, श्री किशोरी लाल, श्री जीत राम कटवाल जी एवं श्री राजिन्द्र गर्ग जी ने चिन्तन किया है और अपने-अपने विचार यहां रखे तथा मेरा एवं सरकार का मार्ग भी प्रशस्त किया है। वास्तव में यह एक बहुत ही चिन्ता का विषय है। यह विषय एक बार नहीं अनेक बार इस विधान सभा में चर्चा के लिए लाया गया है। विधान सभा में किसी विषय को चर्चा में लाना और अमूमन मैंने देखा है और काफी लंबा 30 वर्ष का समय मुझे भी यहां हो गया है कि किसी विषय पर चर्चा होती है, सदन में सदस्य चर्चा करते हैं, मंत्रीगण उसका उत्तर देते हैं और फिर दुबारा एक, डेढ़ या दो साल के बाद उसी विषय पर फिर चर्चा आ जाती है।

अध्यक्ष जी, वस्तुस्थिति बहुत ही विकराल रूप धारण करने की तरफ बढ़ रही है। विश्व की जनसंख्या जो लगभग सात अरब पहुंच चुकी है, भारतवर्ष की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ की तरफ है और हमारे प्रदेश की जनसंख्या लगभग 70,00,000 है। एक समय था जब पानी का इतना बड़ा उपयोग नहीं किया जाता था। मुझे याद है कि

जब हम छोटे होते थे तो सप्ताह में इतवार के दिन कपड़े धोते थे। लेकिन समय परिवर्तित हुआ और जागरुकता आई। उस जागरुकता आने पर आज एक ऐसी स्थिति आ गई है कि

जहां पहले सप्ताह में एक बार कपड़े धोए जाते थे आज तो दिन में तीन बार कपड़े धोने पड़ते हैं। हमारे छोटे-छोटे बच्चे जब शौच इत्यादि करते हैं तो हमारी माताएं/बेटियां और बहनें उसी वक्त उनके कपड़े साफ करती हैं। यह अच्छी बात है। जो इस वक्त की परिस्थिति है उसके मुताबिक जो जल पूरे विश्व में है उसका 97.20 परसेंट जल समुद्र में है। इसी तरह से हमारे ऊंचे-ऊंचे ध्रुवों में बर्फ के रूप में 2.15 परसेंट जल विद्यमान है। जो शेष बचा, चाहे वह भूमिगत जल है या अन्य स्रोतों का जल है, वह मात्र 00.65 प्रतिशत हैं। देश में कुल वर्षा का 48 परसेंट जल नदियों में पहुंचता है और जो यह जल नदियों में पहुंचता है उसकी संग्रहण या भण्डारण की व्यवस्था न होने के कारण केवलमात्र 18 परसेंट जल ही उपयोग में आता है। हमारे पास सारा जल कितना है, समुद्र में कितना है, बर्फ के रूप में कितना है और फिर नदियों में से जो वर्षा के रूप में आता है उसमें से केवल 18 परसेंट जल का हम उपयोग कर पाते हैं। पृथ्वी में कुल जल का आयतन 140 करोड़ घन मीटर है और स्वच्छ जल का आयतन केवलमात्र 2.5 करोड़ घन मीटर है। जो लगातार हम देख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि हम एक बड़ी विकट परिस्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्ष 2005 में एक जल नीति बनाई गई और वर्ष 2013 में उस जल नीति का संशोधन हुआ। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम नीतियां बनाते हैं और उनमें संशोधन करते रहते हैं लेकिन अमल कोई नहीं करता है। जबकि होना यह चाहिए कि जब कोई नीति बनाएं तो उस नीति के बारे में हम चर्चा ही न करें बल्कि उसको कार्यान्वित भी करें ताकि धरातल पर लगे कि हम किसी तरफ बढ़ रहे हैं और उसका फायदा हमारे प्रदेश या जनमानस को हो रहा है। पठानिया जी ने कहा कि जैसी वर्षा पहले होती थी उसी अनुपात में अब भी वर्षा होती है हालांकि उसमें थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। इसमें मेरा कहना है कि पहले की जो वर्षा होती थी वह लगातार बारीक-बारीक होती थी और बारीक वर्षा होने के कारण उस वर्षा का पानी जमीन के अंदर रिसता रहता था। जब जमीन के अंदर पानी रिसता रहता है तो उसकी वजह से हमारे जितने भी रिसोर्सिज हैं चाहे वे बावड़ियों के रूप में हैं, कुएं के रूप में हैं या प्राकृतिक स्रोत हैं वे बरकरार रहते थे। वैसे भी हमारे जंगलों में गुज्जर लोग अपनी भैंसें ले जाते हैं और गद्दी लोग अपनी भेड़-बकरियां ले जाते हैं तो उनके खुरों से चरागाहों में जो छोटे-छोटे सुराख पड़ते हैं, तो जब वह बारीक वर्षा होती थी तो उन छोटे-छोटे सुराखों में वह वर्षा का पानी पड़ता था और वहां से वह पानी रिसाव में चला जाता था। उसमें भी कमी आई है।

10.12.2018/1720/जेके/एजी/1

जितनी भेड़-बकरी पहले थी, जितनी भैंस इत्यादि पहले थी उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट आई है। वन विभाग जो प्लांटेशन करता है उसमें भी पहले जो लम्बी क्यारियां बनती थी, छोटी-छोटी क्यारियां बनती थी उन पर फिर बीज बीजा जाता था ताकि वह बीज अंकुरित होता था और फिर उसमें एक किस्म का नैचुरल पौधरोपण भी हो जाता था और उसके साथ-साथ वे जो क्यारियां बनती थी, उससे भी जो ऊपर जितना भी पानी बरसता था, बर्फ पड़ती थी उसका भी रिसाव हो करके हमारे जो सोर्सिज़ हैं, वे डवैल्प होते थे। अब जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, उसकी वजह से हमारे जो अख़राजात बढ़े हैं, हम जो नये-नये विकास की तरफ बढ़े हैं, ऐसी विकासात्मक योजनाएं, जिनकी तरफ अगर हम देखें तो अब हमारे बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स बनना शुरू हो गए हैं । हाइडल प्रोजैक्ट्स बनना शुरू हो गए, हमारे रोड़ज़ के प्रोजैक्ट आना शुरू हो गए। कहीं आई.आई.टी. आ गई और कहीं बड़ी-बड़ी कन्स्ट्रक्शन्ज़ शुरू हो गई। जो हमारे हाइडल प्रोजैक्ट बनें या बन रहे हैं, उनमें जिस अवैज्ञानिक तरीके से टनल्ज़ का काम हुआ है, जिसको अगर वैज्ञानिक तरीके से किया जाता तो उसका नुकसान नहीं होना था। क्योंकि जब किसी को प्रोजैक्ट का काम दिया, वह उसमें एकदम से जितना ब्लास्टिंग हो सकती थी, करता था । मक जो उसने नीचे से बाहर निकालनी थी, उसने इस चीज की परवाह नहीं की कि इस टनल के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ है और जब मैं अपने फायदे के लिए ब्लास्टिंग कर रहा हूं तो जो ऊपर का पहाड़ है वह सारे का सारा हिल रहा है। उसकी वजह से ऊपर जितने भी हमारे प्राकृतिक स्त्रोत हैं, चाहे वे पीने के पानी के थे, चाहे उसके ऊपर जो बर्फ गिरती थी उसकी वजह से जो ऊपर ग्लेशियर थे, वे सारे के सारे जब हिले उससे हमारे पहाड़ों का सारे का सारा सिस्टम पैरालाइजिज़ होने की तरफ बढ़ गया। जब वह सिस्टम बिगड़ा तो उससे क्या हुआ कि जो ऊपर के क्षेत्र थे वे सारे के सारे सूखे हो गए। जब ऊपर के क्षेत्र सूखे हो गए तो नैचुरली अब हमें उनको भी पीने का पानी उपलब्ध करवाना है। वैसे तो उनको पानी ऊपर ही मिल जाता था लेकिन फिर उन गहरे नालों से पानी ऊपर उठाना पड़ा, जो गहरी खड्डें थी वहां से पानी ऊपर उठाना पड़ा और जो गहरी नदियां थी, वहां से भी पानी उठा करके दोबारा वहां पर पहुंचाना पड़ा। जिससे सरकारों के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ भी पड़ा।

हमने इस तरफ गौर नहीं किया। फिर वहां से जो मक निकला, उस मक को भी जिसको जो प्वाइंट मिला, सड़क का किनारा मिला वहां पर उसको फेंक दिया। एक तरफ तो हम हाइडल प्रोजैक्ट्स के लिए रिजरवायर बना रहे हैं। उसी रिजरवायर के पीछे हम जिस प्रकार से हमारा जितना भी मक निकलता है उसको रखने के लिए ऐसे स्थान चिन्हित करने चाहिए थे ताकि उसको वहां पर रखा जाता लेकिन उसको भी अवैज्ञानिक तरीके से ही रखा गया। एक तरफ हम रिजरवायर बना रहे हैं और दूसरी तरफ वह वर्षा के कारण सारे का सारा भरता चला जा रहा है। फिर जहां से हम शुरू हुए थे दोबारा हम वहीं पहुंच गए। इस तरह से प्रदेश के अन्दर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि बादल फटने जैसी घटनाएं हुई, जिसका जिक्र यहां पर बहुत माननीय सदस्यों ने किया है कि जो मोटी बारिश पहले होती थी वह चार-चार दिन होती थी, जो तीन महीने बारिश होती थी, अब वह बारिश 15 दिन या एक महीने में आ गई। उससे क्या हुआ कि मोटी बारिश का मतलब है कि बादल फटने का रूप इस प्रदेश के अन्दर शुरू हो गया। जहां पर कुदरत के साथ ज्यादा छेड़छाड़ हुई, उसमें विशेषकर बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल का एरिया, मनाली का क्षेत्र और मणिकर्ण का क्षेत्र आता है । रोहडू और रामपुर के ऊपर के क्षेत्रों में इस तरह की ज्यादा घटनाएं शुरू हुई ।

10.12.2018/1725/SS-AG/1

अब तो ऐसा हो गया कि जहां-जहां वह आगे बढ़ता चला गया और अब बादल फटने जैसी प्रवृत्ति आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हो गई है जोकि बहुत खतरनाक है। पानी बरसता है और पानी बरसने के साथ जब वह एकसाथ किसी भी कैचमैंट से निकलता है, पहले वह नाले से निकलता है, फिर खड्ड से निकलता है और फिर नदी में समायोजित हो जाता है तो वह सारे किनारों को तोड़ता हुआ निकलता है। उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी कृषि/बागवानी योग्य भूमि है उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। यह हमारे लिए बहुत चिन्ता का विषय है कि कैसे इसको रोका जाए। बेमौसमी बरसात हो रही है। अभी-अभी राम लाल मारकण्डा जी के केलांग में और इसके अतिरिक्त भरमौर के क्षेत्र में ऐसी अनटाइमली पांच-पांच, छः-छः फुट बर्फबारी पड़ गई, जिससे उनका सारा सेब खत्म हो गया। आलू तबाह हो गया। इनका बागवानी और कृषि क्षेत्र सारा का सारा तबाह हो गया।

ये सारी जो घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं का सबसे बड़ा कारण "इंसान" है। जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं उसी प्रकार से हमारा जलवायु भी परिवर्तित हो रहा है। हमारे पहाड़ों पर ऊंचाई में जो ग्लेशियर हुआ करते थे, अब वे ग्लेशियर तापमान बढ़ने की वजह से लगातार पिघलने शुरू हुए हैं। जितनी उनकी लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई थी, उसमें भी बहुत बड़ी कमी आ रही है। जिस रफ्तार से वे ग्लेशियर पिघल रहे हैं अगर इसी रफ्तार से वे पिघलते रहे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब ऊंचाई वाले क्षेत्र कहीं शीत मरूस्थल न बन जाएं हैं जोकि पूरे देश व संसार को पानी देते हैं। यह एक चिन्ता का विषय है, इस विषय के ऊपर हम सबको, जो चुनकर यहां नुमाइंदे आए हैं, बड़ी गम्भीरता से इसके ऊपर चिन्तन करना पड़ेगा। इसके अलावा मित्रों जब हमने देखा कि इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे यहां पर पैदा हो रही हैं, इन परिस्थितियों के बारे में क्या किया जाए। आपकी जो चिन्ता है उस पर वर्तमान में आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने चिन्तन शुरू किया। जैसे आज के प्रश्न में भी मैंने कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से और आदरणीय प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी वृहद योजना हिमाचल प्रदेश के लिए आई है। यह योजना किसी स्पैसिफिक क्षेत्र के लिए नहीं है कि हम यह कहें कि 4751.24 करोड़ रुपये की योजना किसी एक या दो स्पेसिफिक जिलों के लिए है या स्पेसिफिक किसी क्षेत्र के लिए है, ऐसा नहीं है। मेरा सभी विधायक साथियों से निवेदन है कि you are the best judge, इसमें आप अपने-अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के अंदर जहां आपको लगता है कि हमारे इस नाले में एक नैरो प्वाइंट है अगर उसको प्लग कर दिया जायेगा तो उसके पीछे पानी रुकेगा। आप उनको चिन्हित करिये। आपके वहां पर आई0पी0एच0 विभाग के जो जे0ई0, एस0डी0ओ0 हैं उनको कहिए। हमने एक्सियन सबको कहा हुआ है लेकिन सरकारी मशीनरी के अलावा हमें अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्रों का अनुभव होता है। हमने तो अपने चुनाव क्षेत्र के हर हिस्से को अपने कदमों से नापा होता है। हमें पता है कि कहां जैसे ऐसे प्वाइंट्स हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि आप ऐसी लिस्ट बनाकर भेजें ताकि विभाग को उन साइट्स पर जाने के लिए आसानी हो सके। मैं धन्यवाद करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि आज 6 तारीख से ले करके 14 तारीख तक जो हमारा

4751 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है, दूसरा जो हमारा बागवानी का 1688 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है और तीसरा प्रोजैक्ट जो हमारा मशरूम का 423 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है, ए0डी0बी0 की टीम उसके लिए 6 तारीख से लगातार भ्रमण पर है। उनका कंसल्टैंट आया हुआ है। उसने शिमला जिला का भ्रमण कर लिया। उसने मंडी जिला का भ्रमण कर लिया। आज वह कांगड़ा जिला में है। कल वह हमीरपुर जिला में होगा। उसके बाद वह दोबारा सोलन जिला जायेगा और फिर शिमला जायेगा। मित्रों यह जो हमारा प्रोजैक्ट है, मैं थोड़ा-सा ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं।

10.12.2018/1730/केएस/एजी/1

मैं इसमें आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि कई बार बहुत भ्रांतिया फैल जाती हैं। शिमला जिला में आज तक जो हमने साइट्स आइडैंटिफाई की हुई हैं उसमें एक जुब्बल में, एक चौपाल में साइट आइडैंटिफाई की हुई है। सोलन जिला में अर्की में की है, दूसरी कसौली में की है, एक नालागढ़ में की है, एक सोलन में की है। इसी तरह से एक किन्नौर में, एक लाहौल-स्पिति में की है। सिरमौर में एक नाहन और दूसरी भी नाहन में साइट आइडैंटिफाई की है। यह शिमला जोन का है। धर्मशाला जोन में हमने सलूणी, डलहौजी, चम्बा, नूरपुर में, नूरपुर में, नूरपुर में, जय सिंह पुर में, जयसिंहपुर में, जयसिंहपुर में, बैजनाथ में, बैजनाथ में, देहरा में, देहरा में और देहरा में । इसके अलावा जो हमारा तीसरा जोन मण्डी है, वहां पर हमने कुल्लू में, कुल्लू में, कुल्लू में, जोगिन्द्रनगर में, जोगिन्द्रनगर, जोगिन्द्रनगर, जोगिन्द्रनगर, जोगिन्द्रनगर, सराज, सराज और करसोग में साइट्स चिन्हित की हुई हैं। वैसे ही जो हमारा चौथा जोन है उसमें हमने सुजानपुर में, सुजानपुर में, सुजानपुर में, चिन्तपूरनी में, बंगाणा में, घुमारवीं में, झण्डुता में, धर्मपुर और सरकाघाट में साइट्स आज तक चिन्हित की हुई हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक हमारे पास साइट्स कम आई हुई हैं। आप सभी माननीय सदस्य अपने-अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में इस 4,751 करोड़ का जो हमारा प्रोजैक्ट है, इसमें आप सबसे ज्यादा साइट्स चिन्हित कर सकते हैं। इसमें जिन स्थानों को हमने चिन्हित किया हुआ है, उन स्थानों में

हम बंद लगाएंगें, पानी रोकेंगें और फिर उस पानी को अगर कहीं ग्रेविटी में ले जाना है तो जहां आगे किसानों की जमीन है वहां किसानों की जमीन में सिंचाई के लिए ले जाएंगें। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते अगर हमारे को पानी लिफ्ट करना पड़ता है, हम उसको लिफ्ट करेंगें और जहां-जहां हमारी प्राइवेट लैंड है, किसानों/बागवानों की जमीनें हैं, हम वहां पर ले जाएंगें। हमने एक सिस्टम बदला है कि इसमें हम जो कृषि क्षेत्र है उसमें हमने स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रावधान रखा है और जो हमारा बागवानी का क्षेत्र है उसमें हमने ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम रखा है क्योंकि जो हमारा फ्लो इरिगेशन का सिस्टम है, इसमें बहुत ज्यादा पानी एक ही जगह लगता है। तीन-तीन, चार-चार फुट पानी रिसाव में चला जाता है। जबकि कृषि क्षेत्र में मात्र 6 इंच जमीन सिंचित होनी चाहिए और बागवानी के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 9 इंच, 10 इंच या एक फुट तक जमीन सिंचित होनी चाहिए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जो आप साइट चिन्हित करें उसमें आप यह सुनिश्चित करें कि वहां नीचे, लैफ्ट में, राइट में या पीछे प्राइवेट जमीन का होना अति आवश्यक है। उसकी अप्रूवल तभी मिलेगी अगर वहां पर सिंचाई के लिए प्राइवेट लैंड उपलब्ध होगी। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप सभी इस पर काम करें।

मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करुंगा, हमने दूसरा 4,893 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट भारत सरकार को भेजा है और वह प्रोजैक्ट है कि जैसे आप सभी का मानना है कि भारी वर्षा होती है, बादल फटता है और जैसे पठानिया जी कह रहे थे कि इस तेज रफ़तार से पानी आता है कि वह नालों, खड्डों व नदियों के किनारों को तोड़कर आगे चला जाता है। जो हमारा 4893 करोड़ का प्रोजैक्ट है इसमें हम पूरे प्रदेश को ले रहे हैं। यह प्रोजैक्ट किसी स्पैसिफिक जिला के लिए नहीं है, किसी स्पैसिफिक जोन के लिए नहीं है, वह पूरे प्रदेश के लिए है। इसमें मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जहां आप उचित समझें कि मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर मेरा फलां नाला बहुत उपजाऊ भूमि को नुकसान पहुंचा रहा है, मेरी फ्लां खड्ड मेरे यहां पर मेरी उपजाऊ भूमि को बहुत ज्यादा नुक्सान पहुंचा रही है। मेरी नदी हमें नुकसान पहुंचा रही है, यह प्रोजैक्ट इसीलिए बनाया गया है ताकि ऐसी भारी वर्षा के

कारण जो नुकसान हो उसको कैसे रोका जा सके। स्वां चैनेलाइजेशन इसका एक जीता-जागता उदाहरण है। यहां पर ऊना जिला के हमारे विधायक लोग बैठे हैं और मंत्री जी बैठे हैं।

10.12.2018/1735/av/dc/1

जिला ऊना में स्वां चेनेलाईजेशन से हजारों बीघा जमीन रीक्लेम हुई है और जो जमीन रीक्लेम हुई है उसमें आज कृषि क्षेत्र में करोड़ों रुपये का बिजनैस किया जा रहा है। हमारे मुख्य मंत्री जी की सोच है कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से अपनी जमीन को बचायें क्योंकि हमारे पास वैसे भी लैंड होल्डिंग बहुत कम है। इसलिए आवश्यक है कि इस पर विचार किया जाए कि हम अपनी जमीन को कैसे बचायें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए 4751 करोड़ रुपये का एक प्रोजैक्ट लाया हुआ है तथा दूसरी तरफ जमीन को बचाने के लिए 4893 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस, डिपार्टमैंट ऑफ इकोनोमिक अफेयर में गया है और जैसे ही इस बारे में अगली मीटिंग होगी वह पैसा थ्रू हो जायेगा क्योंकि नीति आयोग ने भी इसके लिए अपनी सहमति दी है। इसके लिए गडकरी जी के मंत्रालय से भी सहमति मिली हुई है। किसी भी फोरन फंडिंग प्रोजैक्ट के लिए दो विभागों की सहमति मिलना आवश्यक है और वे दोनों सहमतियां हमारी फेवर में आई हुई है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप इस बारे में सोचें। इसके अतिरिक्त एक और प्रोजैक्ट पाइप लाइन में डाल रहे हैं जैसे यहां पर बलबीर जी कह रहे थे। मैं पीछे ऊना गया था और मैंने देखा कि जिला ऊना का जो क्षेत्र सवां चेनेलाईजेशन के नज़दीक आता है उसमें तो काफी सुधार हुआ है। मगर जो पीछे का क्षेत्र हैं अगर उसमें सिंचाई की व्यवस्था की जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिला ऊना पूरे हिमाचल प्रदेश की अनाज की रिक्वायरमैंट को पूरा कर सकता है। मैं जब वहां पर गया था तो हमारे माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह और श्री राजेश ठाकुर ने आइडिया दिया था कि पौंग डैम यहां से हाइट पर है। अगर वहां से हम एक नहर लाए तो पूरा ऊना जिला सिंचाई

के अंतर्गत आ जायेगा। मैंने जब पौंग डैम जाकर खुद देखा तो माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसा महसूस किया कि वहां पर छोटी सी एक लिफ्ट लगेगी फिर आगे सारा पानी ग्रेविटी में चला जायेगा। ऊना जिला में ऊपर के पहाड़ के क्षेत्र को छोड़कर मैदान का सारे-का-सारा क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत आ सकता है जिससे जिला ऊना के लोगों का कल्याण हो जायेगा। इस तरह से हम एक ऐसा जिला तैयार कर सकते हैं जो कि पूरे प्रदेश का पालन-पोषण कर सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे फिना सिंह प्रोजैक्ट के चालू होने से भी मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उससे हमारे नूरपुर के क्षेत्र को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वहां पर बागवानी व कृषि क्षेत्र बढ़ेगा तथा साथ में जैसे मैंने कहा है कि फ्ल्ड प्रोटैक्शन का प्रोजैक्ट है उससे हमारे नूरपुर, इंदौरा व फतेहपुर के क्षेत्र में जो छोटी-छोटी खड्डें हैं उनका अगर प्रोपर चेनेलाईजेशन हो जाए तो वह दिन दूर नहीं जब ये क्षेत्र कृषि योग्य बन सकते हैं। हमें इस बारे में सोचना होगा और अपने छोटे-छोटे सुझाव देने होंगे कि इस जलवायु परिवर्तन में हम अपना क्या-क्या सहयोग दे सकते हैं। हमारा जो सिवरेज सिस्टम है उसके बारे में मैंने एक दिन माननीय मुख्य मंत्री जी से चौपर में बैठे हुए बात की थी। मैंने कहा कि अगर हम शिमला के नीचे के एरिया को प्लग कर देते हैं तो यहां पानी का कितना बड़ा रेज़र्वायर बन सकता है। हम मानते हैं कि वह पानी पीने योग्य नहीं है लेकिन उसी पानी को अगर हम उठाते हैं तो शिमला की सिवरेज की रिक्वायरमैंट पूरी हो सकती है। वर्तमान में शिमला की सिवरेज की रिक्वायरमैंट भी सतलुज से पूरी हो रही है। ऐसा करने से हमारी लगभग दो स्टेजिज खत्म हो जाती है इससे एक तो बिजली का बिल कम हो जाता है और दूसरे सिवरेज से निकलने वाले पानी को रीसाइकिल करके उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पानी को अगर बहुत ऊपर न लायें तो कम-से-कम इसको निचले क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से कैसे सेविंग कर सकते हैं और कैसे अपने पानी को बचा सकते हैं, इस बारे में सरकार विचार कर रही है कि इसके लिए कैसे योजना बनाई जाए। यहां पर जो 4751 करोड़ रुपये की राशि का जिक्र किया गया है इसके अंतर्गत हम नीचे जहां डैम की व्यवस्था है वहां प्लगिंग की व्यवस्था कर देंगे। मगर पानी को ऊपर उठाने का काम तो अर्बन डैवल्पमैंट डिपार्टमैंट का है, वह फिर हमारा काम नहीं होगा।

इसके अलावा मेरा एक और सुझाव रहेगा कि हमारा जो पीने का पानी है उसको हम टू-टियर सिस्टम कर दें। हम बिस्लेरी से भी अच्छा पीने का पानी लोगों को दे सकते हैं। लेकिन जो पानी कपड़े धोने और नहाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसके लिए नालों इत्यादि का पानी उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा सिंचाई में माइक्रो इरिगेशन के साथ-साथ स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करें। राष्ट्रीय स्तर पर बहुत-सारी योजनाएं बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चिंतन नहीं हो रहा है। हमारे पास वरिष्ठ अधिकारी श्री संजय कुडू जी बैठें हैं। भारत सरकार में इनके पास बहुत बड़ा काम था लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी इनको इसलिए यहां लाएं हैं कि ये हिमाचल प्रदेश में भी एक सहयोगी के रूप में काम करें। इसमें हमें और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ये एक टीम वर्क है। ये माननीय मुख्य मंत्री या सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री का काम ही नहीं है। ये हम सबकी जिम्मेवारी है और इसका पालन करने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमें चुनकर यहां सदन में भेजा है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्य को उनके क्षेत्र में जो-जो योजनाएं प्रस्तावित हैं, उनके बारे में पत्र लिखूंगा। आप उनको पूर्ण करने के लिए जो कुछ भी प्रयास कर सकते हैं, अवश्य करें। क्योंकि इनका कार्यान्वयन करने में हमें कई जगह एफ0सी0ए, एफ0आर0ए0 और लोगों के ऑब्जेक्शन्ज आएंगे। यदि आप इनको हल करने में मद्द करेंगे तो हम इनको धरातल पर उतारने में अवश्य सफल होंगे। हमारे जितने भी छोटे-छोटे डैम बनेंगे, उसमें जो मक (Muck) आएगा, हम उसको ऑक्शन कर सकते हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि स्टोन क्रैशर लगाते समय यह कंडीशनल कर दिया जाये कि जो हमारे रेजरवायर है, उनसे आपको मक निकालना है और उस मक की रायल्टी भी देनी है ताकि हमारे रेजरवायर खाली भी होते रहें और उससे निकलने वाला मक स्टोन क्रैशरों में काम भी आ जाएगा। जिससे प्रदेश को आमदनी होगी।

एक और सुझाव आया है कि जो हमारी ऊंची पहाड़ियां है (High Hills) हैं, उसमें स्नो हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। ये बात मैंने दिल्ली में भी एक बैठक में की थी तो उन्होंने कहा कि ये क्या होती है? वहां पर पूरे देश से कई विद्धान आए हुए थे। मैंने उनसे कहा कि क्या आपने अभी तक इस पर काम करना शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें तो इसके बारे

में आज ही पता चला है। मेरा माननीय कृषि मंत्री, वन मंत्री और माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल व माननीय उपाध्यक्ष जी से भी निवेदन है कि आपके चुनाव क्षेत्र हाई हिल्ज में पड़ते हैं। हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि हम वहां कैसे स्नो हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जितनी भी सिंचाई व पीने के पानी की स्कीमें हैं, वे बर्फ पर निर्भर करती है। यदि हम नीचे वाले क्षेत्र में नालों व खड्डों या छोटी नदियों को रोक सकते हैं तो हाई हिल्ज में भी पहाड़ों पर बर्फ के गलेशियर चलते हैं।

10-12-2018/1745/NS/HK/1

हम उनको कैसे रोकें ताकि वहां पर ज्यादा समय तक रिसाव में पानी निकलता रहे। हमारी ऊंची पहाड़ियों में रिसाव से पानी निकलने के बाद जितने भी स्प्रिंग रिसोर्सिज़ हैं, वे सारे-के-सारे रिचार्ज़ होते रहें। मित्रो, हमारा एक प्रोजेक्ट लगभग 4751 करोड़ रुपये का है और दूसरा, लगभग 4093 करोड़ रुपये का है, ये दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि जब हमारे ये दोनों प्रोजेक्ट भूमि पर उतरेंगे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आएगा। आप ऐसा न समझें कि हम ठेठ ग्रामीण लोग हैं, हम ग्रामीण कृषक भूमि से आए हुए हैं। प्रदेश का वाटर लेवल नीचे जा रहा है तथा यह हर क्षेत्र में नीचे जा रहा है। कुछेक स्थान तो ब्लैक जोन में चले गए हैं। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय का चुनाव क्षेत्र भी आता है। काला अम्ब और नालागढ़ क्षेत्रों की हालत ठीक नहीं है। लेकिन इन प्रोजेक्टों का यह फायदा होगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर अंडरग्राउंड वाटर लेवल ऊपर होगा। यहां पर माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी ने ठीक कहा कि जहां पानी रोकेंगे और उसकी अगली तरफ अगर आप टयूबवैल या बोरवैल बनाएंगे तो इसमें पानी की मात्रा बढ़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही एक अलग से फ्लडिड वाटर चारों जगह से आता है और एक जगह इक्ट्ठा होता है तथा फिर आगे जो नुकसान करता है तो हम उस नुकसान से बच जाएंगे। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि हम सब इस पर चिन्तन करें। वनों के कटाव पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। मेरा इस पर एक सुझाव रहेगा कि पांच हजार फुट से नीचे जितनी भी हमारी वन भूमि है, वह मात्र झाड़ीनुमा भूमि रह गई है। वहां पर पेड़ नहीं है। इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा कि वहां पर हम किन-किन प्रजातियों की प्लांटेशन करें और कौन-सी प्रजातियां पानी को अपनी तरफ ज्यादा-से-ज्यादा खींचे और गर्मियों में ज्यादा-से-ज्यादा पानी को छोंड़े। जिन

वनों में झाड़ियां हैं, हम वहां पर चंदन के पेड़ लगा सकते हैं, फलदार पौधे लगा सकते हैं ताकि हमारे वन्य प्राणी विशेषकर बंदर जो गांव में घुसे हुए हैं, ये वापिस जंगलों की तरफ चले जाएं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय दो वरिष्ठ सदस्यों ने अपनी बात इस माननीय सदन में रखी है और इनके साथ आठ और माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने दस महीने के इस छोटे से कार्यकाल के बीच में अनेकों योजनाएं हिमाचल प्रदेश के विकास, कल्याण और उत्थान के लिए, कृषि और बागवानी क्षेत्र के लिए लाई हैं और लाने जा रहे हैं। इससे हमारी आर्थिकी मज़बूत होगी। मैं महसूस करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अंदर प्रथम राज्य बन सकता है, अगर इन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हम सब एक साथ मिल करके चलें। आप सबने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने भाग लिया है, मैं इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

धर्मशाला-176215 **यशपाल शर्मा**
दिनांकः 10 दिसम्बर, 2018 **सचिव।**

******